

## **अध्याय - 1**

### **राज्य सरकार के वित्त**

## अध्याय-1

### राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय समग्रों की विगत प्रवृत्तियों और इसकी संगठनात्मक रूपरेखा के मानदंडों के द्वारा राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट 1.1** राज्य सरकार के वित्त लेखे, जिस पर यह प्रतिवेदन आधारित है, की संरचना और खाके को प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट 1.2 (भाग अ)** राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारणार्थ अपनाई गई कार्यपद्धति की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

#### 1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तराखण्ड, भारत सरकार (भा स) द्वारा राज्यों के संवर्गीकरण पर आधारित विशेष श्रेणी राज्य (विश्रेरा) है। उत्तराखण्ड को प्राप्त विशेषाधिकारों में भा स द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण का अनुपात होता है जो गैर-विशेष श्रेणी राज्यों से भिन्न है जिन्हें केन्द्रीय सहायता 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है।

राज्य में बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुई तथा वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक की अवधि के लिए इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद<sup>1</sup> (स रा घ उ) में प्रचलित दरों पर मिश्रित वार्षिक विकास दर (सी ए जी आर) 18.56 प्रतिशत रही।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता और नवजात शिशु मृत्यु दर ने दर्शाया कि राज्य में अखिल भारतीय औसत से बेहतर साक्षरता और निम्न मृत्यु दर है। राज्य में बी पी एल जनसंख्या अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी (**परिशिष्ट 1**)।

#### सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) तथा राज्य के स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि की प्रचलित दरों पर प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित है:

प्रचलित दरों पर स घ उ और स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14*	2014-15*
भारत का स घ उ (₹ करोड़ में)	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807	उपलब्ध नहीं
स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	18.66	15.77	11.88	11.54	उपलब्ध नहीं
राज्य का स रा घ उ (₹ करोड़ में)	83,969	97,858	1,08,250	1,22,897	1,38,723
स रा घ उ की विकास दर (प्रतिशतता)	18.72	16.54	10.62	13.53	12.88

स्रोत: स रा घ उ -मुख्यालय द्वारा उपलब्ध आँकड़े

\* अनंतिम \* तुरंत \* अग्रिम प्राक्कलन

स रा घ उ की वृद्धि दर वर्ष 2011-12 में 16.54 प्रतिशत से 2012-13 में 10.62 प्रतिशत तक तेजी से गिरी। तथापि, वर्ष 2013-14 में यह बढ़कर 13.53 प्रतिशत हो गई और पुनः पिछले वर्ष की तुलना में 12.88 प्रतिशत तक घट गई। स घ उ की तुलना में स रा घ उ की वृद्धि दर 2010-11 से

<sup>1</sup> परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

2013-14 तक परिवर्तनशील रही। वर्ष 2011-12 और 2013-14 के दौरान स रा घ उ की वृद्धि दर स घ उ की तुलना में अधिक थी। वर्ष 2010-11 के दौरान यह लगभग समान थी परन्तु वर्ष 2012-13 में कम रही।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 (ते वि आ की सिफारिश पर मार्च 2011 में संशोधित) और राज्य की मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) द्वारा, राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) का सारांश **परिशिष्ट 1.2 (भाग ब)** में दिया गया है।

### 1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन- देन का सार

तालिका 1.1, गत वर्ष (2013-14) के सापेक्ष चालू वर्ष (2014-15) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन - देन का सार प्रस्तुत करती है। **परिशिष्ट 1.4** गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय संचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
					आयोजनेत्तर	आयोजनागत	कुल
<b>भाग-अ: राजस्व</b>							
कर राजस्व	7,355.34	8,338.47	सामान्य सेवाएँ	6,182.04	7,346.72	55.56	7,402.28
करेत्तर राजस्व	1,316.54	1,110.44	सामाजिक सेवाएँ	7,298.01	5,466.78	3,756.91	9,223.69
संघीय करों/शुल्कों का अंश	3,573.38	3,792.30	आर्थिक सेवाएँ	2,067.95	2,036.77	1,819.70	3,856.47
भारत सरकार से अनुदान	5,075.27	7,005.34	सहायता अनुदान और अंशदान	668.41	681.27	--	681.27
राजस्व प्राप्तियाँ	17,320.53	20,246.55	राजस्व व्यय	16,216.41	15,531.54	5,632.17	21,163.71
<b>भाग-ब: पूँजीगत और अन्य</b>							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	180.40	135.33	पूँजीगत परिव्यय	3,712.03	158.75	4,780.26	4,939.01
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	55.23	45.58	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	277.99	1.92	149.05	150.97
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	3,873.17	4,573.42	लोक ऋणों की चुकोतियाँ *	1,316.81	--	--	893.89
--	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग	400.00	--	--	150.00
आकस्मिकता निधि	412.00	331.98	आकस्मिकता निधि	194.48	--	--	194.15
लोक लेखा प्राप्तियाँ #	25,954.59	35,032.43	लोक लेखा संवितरण	25,190.33	--	--	33,534.94
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	1,945.54	2,433.41	अंतिम रोकड़ शेष	2,433.41	--	--	1,772.02
<b>योग</b>	<b>49,741.46</b>	<b>62,798.70</b>	<b>योग</b>	<b>49,741.46</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>62,798.70</b>

\* इसमें अर्थापय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेनदेन शामिल नहीं हैं

# अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के अन्तिम आंकड़े राज्य के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए लिखे गये हैं

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष के सापेक्ष ₹ 2,926.02 करोड़ (16.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, तथा ये ₹ 20,246.55 करोड़ रहीं। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 983.13 करोड़), संघ के करों/ शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 218.92 करोड़) और भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों (₹ 1,930.07 करोड़), जो आंशिक रूप से करेत्तर राजस्व (₹ 206.10 करोड़) में कमी के द्वारा समायोजित हो गए, में बढ़ोतरी के कारण हुई।
- राजस्व व्यय गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष ₹ 4,947.30<sup>2</sup> करोड़ (30.51 प्रतिशत) से बढ़ गया, जिसका विवरण प्रस्तर 1.6.1 में दिया गया है।
- राज्य के राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 917.16 करोड़ से कम थीं, जिससे चालू वर्ष में इस सीमा तक का राजस्व घटा हुआ।
- पिछले साल के सापेक्ष इस वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 1,226.98<sup>3</sup> करोड़ (33.05 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जैसा कि प्रस्तर 1.6.1 में वर्णित है।
- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 55.23 करोड़ (2013-14) से घटकर ₹ 45.58 करोड़ (17.47 प्रतिशत) हो गयी।
- वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार के आन्तरिक ऋणों में वृद्धि (₹ 674.21 करोड़) तथा केन्द्र सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों की प्राप्तियों के कारण लोक ऋण प्राप्तियाँ ₹ 7,700.25 करोड़ की वृद्धि के साथ, ₹ 4,573.42 रहीं। कुल लोक ऋण में से, आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण क्रमशः ₹ 4,512.42 करोड़ (98.67 प्रतिशत) एवं ₹ 61.00 करोड़ (1.33 प्रतिशत) रहे।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ में वर्ष 2013-14 में ₹ 764.26 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 1,497.49 करोड़ हो गयीं। चालू वर्ष में प्रमुख अंशदाता निवल अल्प बचत एवं भविष्य निधि ₹ 420.20 करोड़, निवल प्रेषण ₹ 449.84 करोड़ एवं निवल जमा एवं अग्रिम ₹ 399.38 करोड़ रहे।
- वर्ष 2013-14 के अन्त में अन्तिम अवशेष की तुलना में चालू वर्ष के अन्त में राज्य का रोकड़ शेष ₹ 661.38 करोड़ घट गया, जिसका प्रमुख कारण वर्ष 2014-15 में रिजर्व बैंक में जमा का ₹ 558.31 करोड़ से ₹ 104.19 करोड़ घटना था।

### 1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बजट में प्रावधानित मुख्य राजकोषीय चर जो कि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों और राज्य के एफ आर बी एम अधिनियम (मार्च 2011 में आंशिक रूप से संशोधित) में लक्षित थे तालिका 1.2 में दिए गये हैं।

<sup>2</sup> सामान्य क्षेत्र (₹ 1,220.24 करोड़) + सामाजिक क्षेत्र (₹ 1,925.68 करोड़) + आर्थिक क्षेत्र (₹ 1,788.52 करोड़) + सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹ 12.86 करोड़)।

<sup>3</sup> सामान्य क्षेत्र (₹ 75.76 करोड़) + सामाजिक क्षेत्र (₹ 389.93 करोड़) + आर्थिक क्षेत्र (₹ 761.29 करोड़)।


तालिका 1.2

राजकोषीय चर	2014-15						
	एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	एम टी एफ पी में प्रक्षेपण	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत भिन्नता		
					एफ आर बी एम अधिनियम का लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	एम टी एफ पी प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	मार्च 2015 तक शून्य तक नीचे लाना	(+) 682.42	(+) 2,156.09	(-) 917.16	प्राप्त नहीं हुआ	(-) 234.40	(-) 142.54
राजकोषीय घाटा/ स रा घ उ (प्रतिशत में)	3.00	2.94	2.97	4.20	(-) 40.00	(-) 42.86	(-) 41.41
सरकार के कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	37.20	22.38	21.76	24.13	(+) 35.13	(-) 7.82	(-) 10.98

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 पारित होने के समय से राज्य सरकार राजकोषीय सुदृढीकरण की ओर अग्रसर है। वर्ष 2011-14 के दौरान राज्य सरकार राजस्व वृद्धि अनुरक्षित करने में सफल रही। तथापि, चालू वर्ष में राजस्व वृद्धि ₹ 917.16 करोड़ की राजस्व हानि में बदल गयी जिसका प्रमुख कारण पिछले वर्षों की तुलना में राजस्व प्राप्ति ₹ 2,926 करोड़ (16.89 प्रतिशत) की अपेक्षा राजस्व व्यय ₹ 4,948 करोड़ (30.51 प्रतिशत) में अत्यधिक वृद्धि थी।

### 1.1.3 बजट आकलन एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज विशेष राजकोषीय वर्ष के राजस्व और व्यय के प्रक्षेपों या आकलनों का विवरण उपलब्ध कराता है। राजस्व और व्यय के प्राक्कलनों की परिशुद्धता की महत्ता राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के सन्दर्भ में सर्वमान्य है। बजट आकलनों (ब आ) से भिन्नता विविध कारणों से जिनमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में हैं, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों के न पाने और अनुकूलतम स्तर न पाने का संकेतक है। वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न संघटकों के सन्दर्भ में वास्तविकों की तुलना में बजट आकलन ने मिश्रित रूझान प्रदर्शित किए:



उपरोक्त चार्ट 1.1 से यह स्पष्ट है कि :

- सहायता अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति ₹ 3,504 करोड़ (33.35 प्रतिशत) तथा चालू वर्ष में बजट आकलन के सापेक्ष करेत्तर राजस्व ₹ 696 करोड़ (38.52 प्रतिशत) की वसूली में कमी के कारण समग्र राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 4,227 करोड़ से कम थी। राज्य का कर राजस्व भी ब आ के मुकाबले ₹ 26 करोड़ कम था।
- राज्य सरकार वर्ष 2014-15 में राजस्व व्यय प्रतिबंधित करने में सफल रही और यह चालू वर्ष के लिए ब आ से ₹ 2,628 करोड़ (11.05 प्रतिशत) कम रहा।
- पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 4,591 करोड़ का बजट अनुमान ₹ 4,939 करोड़ के वास्तविक व्यय के सापेक्ष ₹ 348 करोड़ (7.58 प्रतिशत) तक अपर्याप्त रहा।
- वर्ष 2014-15 बजट आकलन में निर्धारित ₹ 682 करोड़ की राजस्व वृद्धि की अपेक्षा ₹ 917 करोड़ के राजस्व घाटे पर समाप्त हुआ।
- वर्ष 2014-15 के दौरान वास्तविक राजकोषीय घाटा (₹ 5,826 करोड़) तथा प्राथमिक घाटा (₹ 3,420 करोड़) बजट आकलन में निर्धारण से क्रमशः 43 प्रतिशत (₹ 1,750 करोड़) एवं 203 प्रतिशत (₹ 2,292 करोड़) अधिक रहे।

#### 1.1.4. जेण्डर बजटिंग

जेण्डर बजट (जे ब) के लिए बजट आवंटन दो श्रेणियों, श्रेणी I और श्रेणी II में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी I के अन्तर्गत शत-प्रतिशत प्राविधान महिलाओं के कल्याण हेतु होता है तथापि श्रेणी II में कुल बजट प्राविधानों में से 30 प्रतिशत प्राविधान अनन्य रूप से महिलाओं के विकास हेतु प्रावधानित होता है। पुनः विभिन्न जेंडर उत्तरदायी बजटिंग पहल को प्रारम्भ (जे उ ब) करने के लिए जेंडर बजट प्रकोष्ठ (जे ब प्र) का गठन किया जाना था। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर एक समर्पित जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ का गठन वर्ष 2015 में किया गया।

राज्य बजट में जे ब हेतु प्रावधान वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ किए गए। 2010-15 के दौरान जेण्डर बजट प्रलेख में वर्षवार नियतन एवं उस पर किए गए व्यय तालिका 1.3 में वर्णित है।

तालिका 1.3: वर्ष 2010-15 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
जेण्डर बजटिंग के श्रेणी I में आवंटन	255.19	215.63	316.41	522.23	741.36
जेण्डर बजटिंग के श्रेणी II में आवंटन	1,274.24	1,614.37	1,921.49	2,739.06	2,906.11
जेण्डर बजट के अन्तर्गत कुल आवंटन (श्रेणी I + श्रेणी II)	1,529.43	1,830.00	2,237.90	3,261.29	3,647.47
जेण्डर बजटिंग के श्रेणी I में व्यय	177.31	201.30	347.58	413.53	अनुपलब्ध*
जेण्डर बजटिंग के श्रेणी II में व्यय	1,324.59	1,104.59	1,805.53	1,937.54	अनुपलब्ध*
जेण्डर बजट के अन्तर्गत कुल व्यय (श्रेणी I + श्रेणी II)	1,501.90	1,305.89	2,153.11	2,351.07	अनुपलब्ध*
आच्छादित विभागों की संख्या	26	26	29	30	31

\*राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

स्रोत: बजट प्रलेखों

उपरोक्त तालिका 1.3 से यह स्पष्ट है कि राज्य ने जे ब का प्रावधान समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया है। तथापि, श्रेणी II के अन्तर्गत नमूना जांचित संस्कृति एवं जलागम प्रबन्धन विभागों की योजनाओं के विस्तृत विश्लेषण में पाया गया कि जे ब के प्रावधान हेतु इनपुट संबन्धित विभागों द्वारा नहीं दिया जा रहा था, अपितु इसके लिए स्वयं सरकार के स्तर पर प्रावधान किए जा रहे थे। राज्य सरकार द्वारा संबंधित विभाग को जे ब की तैयारी एवं उपयोग संबंधी निर्देश नहीं दिये गए। राज्य सरकार द्वारा योजना में महिलाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत मानते हुए बजट प्रलेखों में जे ब के अन्तर्गत वास्तविक व्यय भी प्रकल्पित आधार पर दिखाया गया।

सरकार द्वारा दर्शाए गए कुल व्यय, जेंडर व्यय तथा वर्ष 2012-15 के दौरान महिलाओं पर अनन्य वास्तविक व्यय का ब्योरा जो इन विभागों द्वारा लेखा परीक्षा को सूचित किया गया, निम्न है :

तालिका 1.4: संस्कृति एवं जलागम प्रबंधन विभाग में जे ब के अधीन योजना

(₹ लाख में)

योजनाओं के नाम	2012-13			2013-14			2014-15		
	कुल व्यय	राज्य सरकार के अनुसार जेंडर बजट	वास्तविक जेंडर व्यय	कुल व्यय	राज्य सरकार के अनुसार जेंडर बजट	वास्तविक जेंडर व्यय	कुल व्यय	राज्य सरकार के अनुसार जेंडर बजट	वास्तविक जेंडर व्यय
<b>संस्कृति विभाग</b>									
संस्कृति निदेशालय	392.74	157.10	1.96	478.35	191.25	0.10	581.41	उपलब्ध नहीं	1.23
भातखण्डे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय	139.39	55.76	00	159.98	63.90	00	206.46	उपलब्ध नहीं	00
पुराने कलाकारों एवं लेखकों को मासिक पेंशन	45.50	18.20	6.48	43.39	17.35	8.28	40.20	उपलब्ध नहीं	8.28
महान व्यक्तियों की मूर्ति स्थापित करना	58.00	00	00	153.57	00	00	--	उपलब्ध नहीं	14.56
<b>संस्कृति विभाग का योग</b>	<b>635.63</b>	<b>231.06</b>	<b>8.44</b>	<b>835.29</b>	<b>272.50</b>	<b>8.38</b>	<b>828.07</b>	<b>उपलब्ध नहीं</b>	<b>24.07</b>
<b>जलागम प्रबंधन</b>									
उत्तराखंड विकेंद्रित जलागम विकास योजना (उ वि ज वि यो)	2,866.26	1,153.21	91.66	2,038.93	815.51	16.61	3,293.55	उपलब्ध नहीं	180.25

स्रोत : 1. राज्य सरकार के अनुसार कुल व्यय तथा जेंडर व्यय- बजट प्रलेख।

2. वास्तविक जेंडर व्यय- संबन्धित विभाग अंक।


उपरोक्त तालिका 1.4 से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा प्रभावी एवं पर्याप्त अनुक्रियाशील जेंडर व्यय का प्रदर्शन किया गया, जबकि वास्तविकता में दिखाया गया व्यय कुल व्यय का 40 प्रतिशत अंकगणितीय गणना मात्र था। संस्कृति विभाग एवं जलागम प्रबंधन विभाग की संवीक्षा में पाया गया कि जे ब के अधीन वास्तविक व्यय एक से छः प्रतिशत तक था।

यह इंगित करने पर दोनों विभागों द्वारा बताया गया कि सारा व्यय महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए लाभकारी है, और इस प्रकार सरकार द्वारा जे ब में दिखाया गया अनंतिम व्यय न्यायोचित है। विभागों द्वारा दिया गया उत्तर न्यायोचित नहीं है क्योंकि जे ब के निर्देशों के अनुसार केवल महिलाओं/ लड़कियों पर किए गए अनन्य व्यय, जो कि महिलाओं की समाज में स्थिति के सुधार में लाभकारी है, को ही जे ब में शामिल किया जा सकता है।

अतः तालिका संख्या 1.3 से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार 2010-11 से 2014-15 तक निरंतर प्रत्येक वर्ष जे ब में वृद्धि करती रही। 2010-15 के दौरान जे ब ₹ 2,118.04 करोड़ (138.49 प्रतिशत)

से बढ़ाया गया किन्तु अनुचित नियतन, निष्पादन एवं निर्देशों के कारण जे ब का व्यय व लाभ अभिनिश्चित नहीं किया जा सका, तथा जे ब में वृद्धि अलाभकारी प्रतीत होती है।


## 1.2 राज्य के संसाधन




\*निवल लोक लेखा प्राप्ति (₹ 1,497 करोड़) = लोक लेखा प्राप्ति (₹ 35,032 करोड़) - लोक लेखा संवितरण (₹ 33,535 करोड़)

### 1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को गठित करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत राजस्व प्राप्तियाँ जैसे विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/ वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण) से ऋण की प्राप्तियाँ तथा भा स से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में उपलब्ध निधियों के वितरण के बाद बची निधियों को सरकार द्वारा अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तालिका 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा इसके वार्षिक वित्तीय लेखों (परिशिष्ट 1.1) में दर्ज है जबकि चार्ट 1.2 वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों का चित्रण करता है। चार्ट 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटकों को वर्णित करता है।



\*निवल लोक लेखा प्राप्ति = लोक लेखा प्राप्ति - लोक लेखा वितरण



वर्ष 2010-11 में सरकार की कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों को छोड़कर) ₹ 15,216 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 74.15 प्रतिशत (₹ 26,498 करोड़) हो गयी। वर्ष 2014-15 में ₹ 26,498 करोड़ की कुल प्राप्ति में से छः प्रतिशत (₹ 1,497 करोड़) निवल लोक लेखा से आया, जबकि 18 प्रतिशत (₹ 4,754 करोड़) एवं 76 प्रतिशत (₹ 20,247 करोड़) अंश क्रमशः उधारी एवं राजस्व प्राप्तियों से मिला।

गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 16.89 प्रतिशत बढ़ गईं। यह मुख्यतः भारत सरकार से अनुदान ₹ 1,930.07 करोड़ (38 प्रतिशत) तथा कर राजस्व ₹ 983.13 करोड़ (13 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुआ। तथापि, चालू वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति के संघटकों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्ति में दो प्रतिशत की मामूली बढ़ोत्तरी हुई। तथापि, कुल प्राप्तियों

में पूंजीगत प्राप्ति के अंश में लगभग एक प्रतिशत की मामूली गिरावट दिखाई दी। (तालिका 1.1 का संदर्भ लें)।

### लोक लेखा प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

- लोक लेखा प्राप्तियों में, प्रेषण (₹ 570.87 करोड़), उचन्त तथा विविध (₹ 8,184.36 करोड़), जमा और अग्रिम (₹ 397.58 करोड़), और लघु बचत और भविष्य निधि (₹ 86.76 करोड़) में वृद्धि होने के कारण ₹ 9,077.84 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि, आरक्षित निधि (₹ 161.72 करोड़) में गिरावट हुई।
- वर्ष के दौरान उचन्त एवं विविध प्राप्तियों में ₹ 8,184.36 करोड़ (50.30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो कि मुख्यतः चेकों एवं देयकों के उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत हुई वृद्धि (₹ 7,870.79 करोड़) के कारण थी। यह उचन्त शीर्ष को चेक जारी करते समय क्रेडिट किया जाता है और बैंक द्वारा चेकों के नगदीकरण की सूचना प्राप्त होने पर समाशोधित किया जाता है। वृद्धि दर्शाती है कि कई जारी किए गए चेक बैंको में समाशोधन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

### 1.2.2 राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियाँ

विगत वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियाँ अन्तरित की जाती रही हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अंतरण की प्रक्रिया 2014-15 से समाप्त कर दी गयी है। तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 75.19 करोड़ सीधे उत्तराखंड राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए, जैसा कि तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5

राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	अभिकरण का नाम/ अभिकरण का प्रकार	अन्तरित निधि
1	विशेष श्रेणी राज्यों (उत्तर पूर्व से इतर) के लिए पैकेज	उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	44.43
2	सांसदों हेतु स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम पी एल ए डी एस )	विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी	30.00
3	अनुसंधान एवं विकास समर्थन एस ई आर सी	डीएवी (पीजी) महाविद्यालय, देहरादून	0.57
4	उच्च शिक्षा सांख्यिकी एवं लोक सूचना प्रणाली	ए आई एस एच ई उत्तराखंड	0.09
5	जनशक्ति विकास (आई टी में कौशल विकास सहित)	अनुसंधान विकास एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड रुड़की	0.09
6	अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण एवं पहुँच	सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी	0.01
<b>योग</b>			<b>75.19*</b>


\* ₹778.53 करोड़ की कुल अवमुक्त धनराशि में से, ₹ 75.19 करोड़ की धनराशि राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गयी।

स्रोत: वित्त लेखा - परिशिष्ट VI

वर्ष 2014-15 से सारी धनराशि को क्रियान्वयन अभिकरणों को न देकर सीधे राज्य सरकार को अंतरित करने के निर्णय के कारण क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरण 2013-14 के मुकाबले 89.20 प्रतिशत से कम हुए हैं।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-14, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों के संघटक और प्रवृत्तियों को परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत किया गया है तथा चार्ट 1.4 में भी चित्रित किया गया है।



राजस्व प्राप्तियों ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि में निरंतर वृद्धि दर्शाई है। यह 16.44 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2010-11 में ₹ 11,609 करोड़ से वर्ष 2014-15 में बढ़कर ₹ 20,247 करोड़ हो गयी, जिसमें राज्य का अपना राजस्व, अनुदान एवं केन्द्रीय कर अंतरण क्रमशः ₹ 4,366 करोड़ (86 प्रतिशत), ₹ 2,940 करोड़ (72 प्रतिशत) एवं ₹ 1,332 करोड़ (54 प्रतिशत) इस दौरान बढ़े।

जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 46.67 प्रतिशत राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व से आया, केन्द्रीय कर अन्तरणों एवं सहायता अनुदान के समुच्चयों ने शेष 53.33 प्रतिशत का योगदान किया।

औसतन, 2010-15 तक की अवधि में राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 48.15 प्रतिशत योगदान स्वयं राज्य की कर प्राप्तियों का रहा। इससे भारत सरकार से सहायता अनुदान पर राज्य की निरन्तर निर्भरता प्रदर्शित हुई, क्योंकि राज्य अपने कर-आधार को विस्तृत करने में अक्षम रहा।

स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को निम्न तालिका 1.6 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.6: स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) (₹ करोड़ में)	11,608	13,691	15,747	17,321	20,247
रा प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	22.37	17.94	15.02	10.00	16.89
रा प्रा / स रा घ उ (प्रतिशत)	13.82	13.99	14.55	14.09	14.60
<b>उत्प्लावकता अनुपात<sup>4</sup></b>					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	1.19	1.08	1.41	0.74	1.31
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	1.27	1.66	1.34	1.09	1.04

वर्ष 2010-11 में गत वर्ष 2009-10 की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों ने 22.37 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाई, तथा उसके बाद इसमें गिरावट हुई और 2013-14 में यह 10 प्रतिशत तक गिर गयी। तथापि, 2014-15 में पुनः वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 6.89 प्रतिशत बढ़कर 16.89 प्रतिशत हो गयी।

उत्प्लावकता अनुपात आधार परिवर्ती में हुए बदलाव के सापेक्ष राजकोषीय परिवर्ती की अनुक्रियाशीलता की मात्रा को दर्शाता है। राजस्व उत्प्लावकता, जो राजस्व प्राप्तियों तथा स रा घ उ में वृद्धि के प्रत्यक्ष आनुपातिक है, में राजस्व प्राप्तियों के वृद्धि अनुपात में उतार-चढ़ाव के कारण 2010-15 के दौरान उतार-चढ़ाव देखा गया। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में वृद्धि, 2013-14 में 10 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 16.89 प्रतिशत होने के कारण, यह वर्ष 2013-14 में 0.74 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 1.31 प्रतिशत हो गयी।

### 1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होता है, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का निर्धारण इसके अपने स्रोतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें निजी कर एवं करेत्तर स्रोतों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं। राज्य के अपने संसाधनों के संदर्भ में तेरहवें वित्त आयोग अनुमानों, बजट अनुमानों और एम टी एफ पी अनुमानों के सापेक्ष वास्तविकों को तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: राज्य के अपने संसाधन: अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के अपने संसाधन	ते वि आ अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी अनुमान	वास्तविक	वास्तविक में प्रतिशत का अन्तर		
					ते वि आ अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी अनुमान
स्वयं का कर राजस्व	6,921	8,023	8,196	8,339	(+)20.49	(+)3.94	(+)1.74
करेत्तर राजस्व	1,414	1,807	1,812	1,111	(-)21.43	(-)38.52	(-)38.69

जैसा कि तालिका 1.7 में प्रदर्शित है, ते वि आ, बजट आकलन एवं एम टी एफ पी के सापेक्ष राज्य के स्वयं के संसाधनों से यह परिलक्षित होता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान कर राजस्व, क्रमशः ₹ 1,418 करोड़, ₹ 316 करोड़ एवं ₹ 143 करोड़ अधिक रहा।

<sup>4</sup> परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ ग्रहण करें।

करेत्तर राजस्व क्रमशः ते वि आ के अनुमान, ब आ और एम टी एफ पी एस के सापेक्ष ₹ 303 करोड़, ₹ 696 करोड़ और ₹ 701 करोड़ अधिक था। करेत्तर राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त न करने का कारण मुख्यतः मुख्य शीर्ष 0071 "पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभकर योगदान एवं वसूली" के अन्तर्गत कम प्राप्तियां था।

### 1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के सन्दर्भ में सकल संग्रह तालिका 1.8 में दी गई है।

तालिका 1.8: राज्य के अपने संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,940 (31)	3,644 (24)	4,289 (18)	4,903 (14)	5,465 (11)
राज्य आबकारी	756 (7)	844 (12)	1,118 (32)	1,269 (14)	1,487 (17)
वाहनों पर कर	227 (23)	335 (48)	304 (-9)	369 (21)	394 (7)
स्टाम्प प्रभार और पंजीकरण शुल्क	440 (10)	524 (19)	648 (24)	687 (6)	714 (4)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--
अन्य कर	42 (75)	269 (540)	55 (-80)	128 (133)	279 (118)
योग	4,405 (24)	5,616 (27)	6,414 (14)	7,356 (15)	8,339 (13)

काष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की प्रतिशतता को दर्शाते हैं

राज्य के स्वयं के कर राजस्व, 13.36 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2013-14 में ₹ 7,356 करोड़ की अपेक्षा 2014-15 में ₹ 8,339 करोड़ हो गया, तथापि, वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में 1.33 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई। बिक्री, व्यापार आदि पर कर न केवल कर राजस्व के एक बड़े हिस्से के रूप में शामिल (65.53 प्रतिशत) रहा बल्कि उसमें पिछले वर्ष के सापेक्ष 11.46 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की गई। राज्य के स्वयं के कर राजस्व का दूसरा मुख्य अंशदाता राज्य उत्पाद शुल्क था।

### 1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व की वृद्धि दर तालिका 1.9 में दी गई है।

तालिका 1.9: करेत्तर राजस्व के प्राप्ति की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ब्याज प्राप्तियाँ	53.97	50.62	114.76	51.12	108.17
लाभांश एवं लाभ	0.21	0.05	0.19	0.30	0.11
अन्य करेत्तर राजस्व	623.88	1,085.46	1,487.93	1,265.12	1,002.16
योग	678.06	1,136.13	1,602.88	1,316.54	1,110.44
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी	7.29	67.56	41.08	(-) 17.86	(-)15.65

करेत्तर राजस्व, 2010-11 से 2012-13 के दौरान निरंतर बढ़ता गया परन्तु यह 2013-14 तथा उसके पश्चात घटना शुरू हो गया। विगत वर्ष में ₹ 286.34 करोड़ (17.86 प्रतिशत) की गिरावट की अपेक्षा वर्ष 2014-15 के दौरान यह ₹ 206.10 करोड़ (15.65 प्रतिशत) घटा। गिरावट मुख्यतः पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ से संबन्धित योगदान एवं वसूली (₹ 152.45 करोड़ - 62.03 प्रतिशत),

ऊर्जा (₹ 76.10 करोड़ - 62.83 प्रतिशत), अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 26.27 करोड़ - 10.51 प्रतिशत), वानिकी एवं वन्य जीव (₹ 11.46 करोड़ - 3.16 प्रतिशत) में थी। यह आंशिक रूप से ब्याज से प्राप्त (₹ 57.05 करोड़ - 111.58 प्रतिशत), नागरिक विमानन (₹ 39.97 करोड़ - 70254.66 प्रतिशत), श्रम एवं रोजगार (₹ 23.50 करोड़ - 889.02 प्रतिशत), लोक निर्माण (₹ 12.79 करोड़ - 82.47 प्रतिशत) में वृद्धि के द्वारा प्रति संतुलित हुआ।

वर्ष 2014-15 के दौरान उत्तराखंड राज्य को वर्ष 2011-12 हेतु ₹ 486.39 करोड़, पूर्ववर्ती समेकित राज्य उत्तर प्रदेश की पेंशन देयताओं के उत्तरार्द्ध राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के मध्य प्रभाजन के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें से 2011-12 के दौरान पेंशन भुगतान हेतु व्यय के माध्यम में ₹ 451.39 करोड़ मुख्य शीर्ष - 8793 "उंचंत लेखा शीर्ष" से समाशोधित किए गए तथा ₹ 35 करोड़ मुख्य शीर्ष - 0071 "पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ से संबन्धित योगदान एवं वसूली" में राजस्व प्राप्त के रूप में लिए गए।

2014-15 के दौरान करेत्तर प्राप्तियों में वानिकी एवं वन्य जीव ₹ 351 करोड़ (31.59 प्रतिशत), अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग ₹ 224 करोड़ (20.15 प्रतिशत), ब्याज प्राप्तियाँ ₹ 108 करोड़ (9.72 प्रतिशत), पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ से संबन्धित योगदान एवं वसूली ₹ 93 करोड़ (8.37 प्रतिशत) एवं ऊर्जा ₹ 45 करोड़ (4.05 प्रतिशत) का मुख्य योगदान रहा।

### 1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भा स से 2010-11 से 2014-15 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.10 में प्रदर्शित है।

तालिका 1.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयोजनेत्तर अनुदान	1,435	762	869	981	944
राज्य आयोजनागत योजना के लिए अनुदान	2,253	2,840	3,040	3,558	4,083
केन्द्रीय आयोजनागत योजना के लिए अनुदान	21	10	8	13	99
केन्द्रीय सहायतित योजना के लिए अनुदान	356	462	540	523	1,879
<b>योग</b>	<b>4,065</b>	<b>4,074</b>	<b>4,457</b>	<b>5,075</b>	<b>7,005</b>
विगत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	9	00	9	14	38
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	35	30	28	29	35

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान भा स से सहायता अनुदान ने वृद्धि दर्शायी। सहायता अनुदान वर्ष 2010-11 में ₹ 4,065 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 7,005 करोड़ हो गयी। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि ₹ 1,930 करोड़ (38.03 प्रतिशत) मुख्य रूप में राज्य की केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों (₹ 1,356 करोड़), राज्य योजना स्कीमों (₹ 525 करोड़), एवं केन्द्रीय योजना स्कीमों (₹ 86 करोड़) के लिए अनुदानों में वृद्धि के कारण थी। तथापि, चालू वर्ष में गैर-योजना अनुदान गत वर्ष की तुलना में ₹ 37 करोड़ घट गया।

### 1.3.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

संघीय करों तथा शुल्कों के राज्यांश के रूप में प्राप्तियाँ, 2013-14 में ₹ 3,573 करोड़ से ₹ 219 करोड़ (6 प्रतिशत) बढ़कर 2014-15 में ₹ 3,792 करोड़ हो गयी थीं। केन्द्रीय कर अन्तरण में समग्र वृद्धि (₹ 219 करोड़) निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 154 करोड़), निगम कर (₹ 123 करोड़), सीमा-

शुल्क (₹ 30 करोड़) में हुई वृद्धि के कारण थी, जो संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 65 करोड़) तथा सेवा कर (₹ 23 करोड़) में गिरावट से प्रतिसंतुलित हुई।

### 1.3.4 अधिनिर्णित वर्षों (2010-15) हेतु तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों की प्राप्ति एवं उपयोग

#### 1.3.4.1 प्रस्तावना

ते वि आ का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत 2010-15 की अवधि के लिए संस्तुतियां देने के लिए किया गया था। आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत, अधिनिर्णित वर्ष (2010-11 से 2014-15) के दौरान ₹ 3,062.98 करोड़ के अन्तरण की संस्तुति की थी।

#### 1.3.4.2 भारत सरकार की संस्तुति के सापेक्ष कम अवमुक्त राशि

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार ने पारितोषिक निधि ₹ 3,062.98 करोड़ में से ₹ 2,019.65 करोड़ प्राप्त किये जिसका परिणाम स्वरूप ₹ 1,043.33 करोड़ (34 प्रतिशत) की कम अवमुक्ति हुयी। अवमुक्त धनराशि, कम अवमुक्ति, तथा संस्तुति का क्षेत्रवार विवरण, तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति अन्तरण और अवमुक्ति का विवरण (2010-15)

(₹ करोड़ में)					
क्रम सं	खण्ड का नाम	ते व आ की संस्तुति	भा स द्वारा अवमुक्ति राशि	कम अवमुक्ति	31/03/2015 तक प्रेषित उ प्र प
1	2	3	4	5	6
1.	स्थानीय निकाय				
	(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	590.99	391.59	199.40	283.03
	(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	386.42	391.59	-5.17	283.03
	(ब) सामान्य दक्षता अनुदान	204.57	00	204.57	00
	(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	190.21	108.88	81.33	87.83
	(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	124.38	108.88	15.50	87.83
	(ब) सामान्य दक्षता अनुदान	65.83	00	65.83	00
	<b>योग (1)</b>	<b>781.20</b>	<b>500.47</b>	<b>280.73</b>	<b>370.86</b>
2.	आपदा राहत				
	(i) आपदा राहत निधि	585.14	478.90	106.24	105.89
	(ii) क्षमता निर्माण	20.00	20.00	00	14.29
	<b>योग (2)</b>	<b>605.14</b>	<b>498.90</b>	<b>106.24</b>	<b>120.18</b>
3.	परिणामी अनुदानों का सुधार				
	(i) न्याय प्रदान में सुधार	102.20	48.24	53.96	23.99
	(ii) यू आई डी के निर्गमन हेतु प्रोत्साहन	36.00	3.60	32.40	00
	(iii) जिला नवीनता /परिवर्तन निधि	13.00	13.00	00	5.69

	(iv) राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणाली सुधार	13.00	7.80	5.20	4.50
	(v) कर्मचारी एवं पेंशन डाटाबेस	5.00	5.00	0	5.18
	<b>योग (3)</b>	<b>169.20</b>	<b>77.64</b>	<b>91.56</b>	<b>39.36</b>
<b>4.</b>	<b>पर्यावरण सम्बन्धी अनुदान</b>				
	(i) वन संरक्षण	205.44	166.92	38.52	127.35
	(ii) जल क्षेत्र प्रबन्ध	76.00	19.00	57.00	00
	<b>योग (4)</b>	<b>281.44</b>	<b>185.92</b>	<b>95.52</b>	<b>127.35</b>
<b>5.</b>	<b>प्राथमिक शिक्षा</b>	<b>197.00</b>	<b>197.00</b>	<b>00</b>	<b>197.00</b>
<b>6.</b>	<b>सड़कें एवं पुल</b>	<b>329.00</b>	<b>149.00</b>	<b>180.00</b>	<b>149.00</b>
<b>7.</b>	<b>राज्य हेतु विशिष्ट अनुदान</b>	<b>700.00</b>	<b>410.72</b>	<b>289.28</b>	<b>286.80</b>
	<b>कुल योग (1-7)</b>	<b>3,062.98</b>	<b>2,019.65</b>	<b>1,043.33</b>	<b>1,290.55</b>

स्रोत: राज्य सरकार का वित्त विभाग

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य ते वि आ द्वारा संस्तुत अनुदान की पूर्ण राशि प्राप्त करने में असमर्थ रहा तथा कार्य योजना/डी.पी.आर/उ.प्र.प. का अप्रस्तुतिकरण/ विलम्ब प्रस्तुतिकरण, भारत सरकार द्वारा लागू की गयी शर्तों का पालन न करना, और प्रक्षेपित आयोजनेत्तर राजस्व व्यय आदि से कम व्यय के कारण भा स से ₹ 1,043.33 करोड़ के अनुदान को प्राप्त करने का अवसर गँवा दिया। मुख्यतः कम अवमुक्ति, राज्य सड़क एवं पुल ₹ 180.00 करोड़ (55 प्रतिशत), परिणामी अनुदानों में सुधार- ₹ 91.56 करोड़ (54 प्रतिशत), राज्य विनिर्दिष्ट अनुदान- ₹ 289.28 करोड़ (41 प्रतिशत), स्थानीय निकाय अनुदान- ₹ 280.73 करोड़ (36 प्रतिशत) और पर्यावरण सम्बन्धी अनुदान ₹ 95.52 करोड़ (34 प्रतिशत) में परिलक्षित हुई।

### 1.3.5 उत्तराखंड में उप कर का संग्रह एवं उपयोग

#### (i) श्रम उपकर

केंद्रीय सरकार भवन एवं अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण उपकर नियम, 1998 के अनुसार ₹ 10 लाख एवं उससे अधिक निर्माण कार्य वाली परियोजनाओं का 1 प्रतिशत, जिनका दायित्व दोनों निजी या लोक भवन निर्माता के पास हो, राज्य के श्रम विभाग को कल्याण उप कर के रूप में जमा करना चाहिए।

उत्तराखंड राज्य सरकार ने नियम, 2005 उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों (सेवायोजन का विनियम एवं सेवा की शर्तों), का गठन किया तथा इस प्रकार इस कल्याण बोर्ड के संविधान पर अधिनियम को लागू करना शुरू किया। उपकर के रूप में प्राप्त धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में श्रम आयुक्त/सचिव, उत्तराखंड के नाम से खोले गए खाते में जमा किया जा रहा है।

जबसे श्रम उप कर के अधिरोपण को लागू किया गया है, तब से ₹ 72.99 करोड़ की धनराशि को निधि (ब्याज सहित) में जमा कर दिया गया है, जिसमें से ₹ 2.25 करोड़ की धनराशि का व्यय मार्च 2015 तक किया जा चुका है।

प्रारंभिक शेष, प्राप्त निधियां, उपयोग की गयी निधियों, अंतिम शेष, एवं 2010-15 की अवधि के लिए प्रतिशत उपभोग का विवरण निम्न है:

2010-15 के दौरान श्रम उप कर की प्राप्ति एवं उपभोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	श्रम उप कर के संग्रह का लक्ष्य	वर्ष के दौरान श्रम उप कर में प्राप्त धनराशि	प्राप्त श्रम उप कर से व्यय	अंतिम शेष	उपलब्ध निधि का प्रतिशत उपभोग (केवल प्रारंभिक शेष को मानकर)
2010-11	0.73	--	3.33	0.02	4.04	2.74
2011-12	4.04	--	8.03	0.02	12.05	0.49
2012-13	12.05	--	14.91	0.08	26.88	0.66
2013-14	26.88	19.00	15.77	0.06	42.59	0.22
2014-15	42.59	22.00	28.65	0.92	70.32	2.16

स्रोत : श्रम विभाग, उत्तराखंड

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्णित निधि का उपभोग 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान संगत वर्ष के प्रारंभिक शेषों के केवल 0.22 प्रतिशत से 2.74 प्रतिशत के बीच रहा।

श्रम विभाग द्वारा भी सूचित किया गया था कि उत्तराखंड राज्य में श्रमिकों की अनुमानित संख्या को निश्चित करने हेतु कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तथापि, राज्य में मार्च 2015 को 17,729 श्रमिक श्रम कल्याण बोर्ड से पंजीकृत थे।

(ii) परिवहन विभाग में हरित उप कर

राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के सुधार के लिए दिसंबर 2013 से विभिन्न प्रकार के वाहनों पर हरित उपकर लगाया गया। हरित उप कर लागू करने से (दिसंबर 2013) मार्च 2015 तक का विवरण निम्न है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्ति
2012-13	1.48
2013-14	11.99
2014-15	12.53
कुल	26.00

स्रोत : उत्तराखंड परिवहन विभाग

परिवहन विभाग द्वारा सूचित किया गया था कि परिवहन विभाग में हरित उप कर के उपभोग के लिए नियमों संग्रहीत उप कर का उपभोग नहीं किया जा सका (सितम्बर 2015)।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ या तो ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे सरकारी कंपनियों / कार्पोरेशनों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियाँ और ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ अथवा ऋण पूँजी प्राप्तियाँ हैं, जो कि समेकित निधि के लोक ऋण भाग में क्रेडिट की जाती हैं। लोक ऋण प्राप्तियाँ विस्तृत रूप में दो श्रेणियों; (अ) संघ सरकार से ऋण/ अग्रिम (ब) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से नेगोसियेटेड ऋण या राज्य विकास ऋण निर्गमों के माध्यम से खुले बाजार की उधारियों, में विभाजित है। संघ सरकार से ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं ऋणों/ अग्रिमों का हिस्सा नगण्य है और पूँजीगत प्राप्तियाँ मुख्यतः बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं खुले बाजार से उधारियाँ हैं जैसा कि तालिका 1.12 में वर्णित है।

तालिका 1.12: प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि का रुझान

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों का स्रोत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ प्रा)	2,512	2,427	3,396	4,108	4,754	
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	180	135	
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	85	91	428	55	46	
लोक ऋण प्राप्तियाँ	आंतरिक स्रोत	2,384	2,289	2,933	3,838	4,512
	भारत सरकार	43	47	35	35	61
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	44	(-)4	27	30	18	
ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	31	7	370	(-) 45	(-) 23	
स रा घ उ की वृद्धि दर	18.72	16.54	10.62	13.53	12.88	
पूँ प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	44	(-) 3	40	21	16	

#### 1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों की वृद्धि दर ने 2010-11 से 2012-13 के दौरान बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति दिखायी। तथापि, वर्ष 2013-14 में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ गत वर्ष की अपेक्षा ₹ 373 करोड़ से घट गयी, जिसका कारण ऊर्जा क्षेत्र के द्वारा पिछले वर्ष (₹ 422 करोड़) की तुलना में कम पुनर्भुक्तियोगी (₹ 47 करोड़) था। चालू वर्ष के दौरान, पुनर्भुक्तियोगी ₹ 9 करोड़ (16.36 प्रतिशत) से घट गयी।

#### 1.4.2 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

2010-11 से 2014-15 की अवधि में ऋण प्राप्तियाँ जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संसाधनों से ऋण इत्यादि, सरकार की प्राप्तियों के लगातार स्रोत बने रहे। यह 2011-15 के दौरान ₹ 2,128 करोड़ (89.26 प्रतिशत) बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान यह गत वर्ष की तुलना में ₹ 674 करोड़ (17.56 प्रतिशत) बढ़ गया।

#### 1.4.3 भारत सरकार से ऋण व अग्रिम

उत्तराखण्ड राज्य विशेष श्रेणी राज्य होने के कारण भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं ऋण 90:10 के अनुपात में प्राप्त करता है। इसलिए भारत सरकार से ऋण (₹ 478 करोड़) के सन्दर्भ में राज्य सरकार के बकाया दायित्व, कुल लोक ऋण (₹ 25,035 करोड़) का केवल 1.91 प्रतिशत है। यह 2011-15 के दौरान ₹ 18 करोड़ (41.86 प्रतिशत) बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान यह गत वर्ष की तुलना में ₹ 26 करोड़ (74.29 प्रतिशत) बढ़ गया।

### 1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

प्राप्तियाँ एवं वितरण के कतिपय लेन - देनों के सन्दर्भ में यथा लघु बचतों, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तो, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते, को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है एवं ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं हैं। तालिका 1.13, लोक लेखा के विभिन्न खण्डों के अंतर्गत प्राप्तियों तथा वितरणों की प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.13: वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं वितरणों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)


राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्ति		लोक लेखा से संवितरण		संवितरण से अधिक प्राप्तियाँ	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
अ. लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,313.17	1,399.93	990.73	979.73	322.44	420.20
ब. आरक्षित निधियाँ	468.31	306.59	472.24	92.02	(-) 3.93	214.57
स. जमा एवं अग्रिम	3,086.84	3,484.42	2,735.10	3,085.04	351.74	399.38
द. उच्चत एवं विविध	16,269.57	24,453.93	16,492.77	24,440.43	(-) 223.20	13.50
य. प्रेषण	4,816.69	5,387.56	4,499.49	4,937.72	317.20	449.84
<b>योग</b>	<b>25,954.58</b>	<b>35,032.43</b>	<b>25,190.33</b>	<b>33,534.94</b>	<b>764.25</b>	<b>1,497.49</b>

## 1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रमुख व्यय दायित्व राज्य सरकार के सुपुर्दे होते हैं। राजकोषीय दायित्व विधायन के ढाँचे के अन्तर्गत, घाटे अथवा उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय अवरोध होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढीकरण प्रक्रिया विशेषकर विकासपरक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो। राज्य में व्यय के आवंटन के विश्लेषण पर चर्चा नीचे की गई है:

### 1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.5 पाँच वर्षों (2010-11 से 2014-15) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है तथा इनकी संरचनाओं को 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'क्रियाकलापबद्ध व्यय' दोनों के सन्दर्भ में चार्ट 1.6 में चित्रित किया गया है।




**कुल व्यय (टी ई)** वर्ष 2010-15 के दौरान 16.51 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर से बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय में ₹ 6,048 करोड़ (29.93 प्रतिशत) की बढ़ोतरी राजस्व व्यय व पूँजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 4,948 करोड़ व ₹ 1,227 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। तथापि, ऋण व अग्रिमों का संवितरण ₹ 127 करोड़ से घट गया।

**राजस्व व्यय (आर ई):** चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 21,164 करोड़) कुल व्यय (₹ 26,254 करोड़) का 80.61 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि (₹ 4,948 करोड़) (i) आर्थिक सेवाओं (₹ 1,789 करोड़), (ii) सामाजिक सेवाओं (₹ 1,926 करोड़), (iii) सामान्य सेवाओं (₹ 1,220 करोड़), तथा (iv) सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹ 13 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

**पूँजीगत व्यय (सी ई):** वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 1,227 करोड़ (33.05 प्रतिशत) की बढ़ोतरी (i) आर्थिक सेवाओं (₹ 761 करोड़), (ii) सामाजिक सेवाओं (₹ 390 करोड़), तथा (iii) सामान्य सेवाओं (₹ 76 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में, इसने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान विचलन-शील प्रवृत्ति दर्शाई, जो वर्ष 2010-11 में 13.70 प्रतिशत तथा वर्ष 2014-15 में 18.81 प्रतिशत था। पूँजीगत व्यय ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य वृद्धि क्रम दर्शाते हुए वर्तमान वर्ष ₹ 4,939 करोड़ पर रहा। तथापि, वास्तविक व्यय, राज्य सरकार द्वारा उनके बजट (₹ 4,591 करोड़) से ज्यादा, तथा एम टी एफ पी एस (₹ 5,840 करोड़) में परिकल्पित लक्ष्य के नीचे था।

व्यय के इन घटकों का सापेक्ष अंश जो विगत (2010-2012) में लगभग अपरिवर्तित रहा, ने 2013-14 तथा इसके पश्चात पूँजीगत व्यय के बढ़े हुए भाग के कारण बढ़ोतरी दर्शायी। गैर विकासात्मक समझे जाने वाले ब्याज भुगतानों सहित सामान्य सेवाओं पर व्यय का अंश वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान लगभग अपरिवर्तित रहा। आर्थिक सेवाओं पर व्यय का भाग वर्ष 2013-14 के दौरान 23.76 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 28.00 प्रतिशत हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं में 1 प्रतिशत से कम की मामूली गिरावट दर्ज की।



राज्यों के राजस्व व्यय में आयोजनागत राजस्व व्यय (पी आर ई) के अंश में 2011-12 के दौरान ₹ 151 करोड़ (6.11 प्रतिशत) की गिरावट हुई, किन्तु वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान इसमें क्रमशः ₹ 106 करोड़ (4.57 प्रतिशत) एवं ₹ 340 करोड़ (14.01 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। चालू वर्ष 2014-15 के दौरान, यह पुनः पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,865 करोड़ (103.54 प्रतिशत) बढ़ गया। चालू वर्ष में बढ़ोतरी का मुख्य कारण ग्राम्य विकास (₹ 1,081 करोड़,) समाज कल्याण तथा पोषण (₹ 584 करोड़), जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास (₹ 312 करोड़), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 290 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 252 करोड़), कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ (₹ 196 करोड़), अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण (₹ 74 करोड़), राजकोषीय सेवाओं (₹ 28 करोड़), सामान्य सामाजिक सेवा (₹ 26 करोड़), प्रदेश के अंग (₹ 24 करोड़) तथा सामान्य आर्थिक सेवाओं (₹ 14 करोड़) में वृद्धि के कारण हुआ। तथापि, 2014-15 के दौरान परिवहन में ₹ 7 करोड़ की गिरावट हुई।

राज्य का आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) वर्ष 2010-11 में ₹ 9,149 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 15,332 करोड़ हो गया, जिससे एन पी आर ई में ₹ 6,383 करोड़ (69.77 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, एन पी आर ई में वृद्धि ₹ 2,083 करोड़ (15.48 प्रतिशत) मुख्यतः वेतन (₹ 878 करोड़) और पेंशन (₹ 321 करोड़) मद में व्यय की वृद्धि के कारण थी।

वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए नीचे तालिका 1.14 वास्तविक एन पी आर ई का राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर किये गये अनुमानों के संदर्भ में ब्यौरा देती है:

तालिका 1.14: वर्ष 2014-15 के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

आयोजनेत्तर व्यय (एन पी आर ई)	ते वि आ द्वारा निर्धारण	राज्य सरकार द्वारा निर्धारण		वास्तविक
		बजट	एम टी एफ पी एस	
		11,038	18,677	

स्रोत: ते वि आ का प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (उत्तराखण्ड शासन) व वित्त लेखे

चालू वर्ष के दौरान, एन पी आर ई (₹ 15,532 करोड़), ते वि आ द्वारा निर्धारित ₹ 11,038 करोड़ का मानकीय निर्धारण ₹ 4,494 करोड़ (40.71 प्रतिशत) से अधिक हो गया किन्तु यह राज्य सरकार के अपने बजट (₹ 18,677 करोड़) और मध्यकालिक राजकोषीय नीति (₹ 18,772 करोड़) में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित प्रक्षेपण से क्रमशः ₹ 3,145 करोड़ एवं ₹ 3,240 करोड़ कम था।

### 1.6.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन और पारिश्रमिक पर व्यय, पेंशन और उपदान शामिल होते हैं। तालिका 1.15 वर्ष 2010-15 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है :

तालिका 1.15: वचनबद्ध व्यय के घटक

वचनबद्ध व्यय के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15		
					ब आ	वास्तविक	ब आ से वास्तविक भिन्नता की प्रतिशतता
वेतन और पारिश्रमिक, जिसमें आयोजनेत्तर शीर्ष	4,721 (40.67)	5,244 (38.30)	5,724 (36.35)	6,431 (37.13)	8,145	7,309	(-) 10.26
	4,464	4,971	5,423	6,115		6,944	

आयोजनागत शीर्ष*	257	273	301	316		365	
ब्याज भुगतान	1,480 (12.75)	1,769 (12.92)	2,089 (13.27)	2,056 (11.87)	2,948	2,406	(-) 18.39
पेंशन पर व्यय	1,142 (9.84)	1,135 (8.29)	1,366 (8.67)	2,131 (12.30)	2,424	2,452	(+) 1.16
उपदान	44 (0.38)	220 (1.61)	163 (1.04)	24 (0.14)	--	209	--
कुल वचनबद्ध व्यय	7,387 (63.64)	8,368 (61.12)	9,342 (59.33)	10,642 (61.44)	13,517	12,376	(-) 8.44
अन्य घटक	1,762 (15.18)	2,286 (16.70)	2,191 (13.91)	2,807 (16.21)	5,160	3,156	(-) 38.84
कुल एन पी आर ई	9,149	10,654	11,533	13,449	18,677	15,532	(-)16.84
<b>कुल राजस्व व्यय</b>	<b>11,621</b>	<b>12,975</b>	<b>13,960</b>	<b>16,216</b>	<b>23,792</b>	<b>21,164</b>	<b>(-)11.05</b>
<b>राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>11,608</b>	<b>13,691</b>	<b>15,747</b>	<b>17,321</b>	<b>24,474</b>	<b>20,247</b>	<b>(-)17.27</b>

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत को इंगित करते हैं

\* केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वेतन एवं पारिश्रमिक भुगतान भी आयोजनागत शीर्ष में शामिल हैं

2010-11 में वचनबद्ध व्यय जो राजस्व प्राप्तियों के 64 प्रतिशत था, चालू वर्ष के दौरान यह तीन प्रतिशत घट गया तथा यह राजस्व प्राप्तियों का 61 प्रतिशत था। तथापि यह 2010-15 के दौरान ₹ 4,989 करोड़ बढ़ गया। राज्य सरकार को चाहिए कि वचनबद्ध व्यय को सन्निहित करने हेतु कदम उठाये क्योंकि विकासपरक कार्यकलापों के लिए व्यय करने हेतु सरकार के लिए यह कम गुंजाइश छोड़ता है।

#### वेतन एवं पारिश्रमिक

चालू वर्ष के दौरान वेतन पर व्यय (₹ 7309 करोड़ ) आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) (₹ 15,532 करोड़ ) का 47.06 प्रतिशत था। वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, तथा 2014-15 के दौरान वेतन पर व्यय क्रमशः 7.59 प्रतिशत, 11.08 प्रतिशत, 9.15 प्रतिशत, 12.35 प्रतिशत एवं 13.65 प्रतिशत बढ़ा। इन पाँच वर्षों में वेतन व्यय ते वि आ के अनुमानों से अधिक था। वर्ष 2014-15 के दौरान वेतन पर वास्तविक व्यय, चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट लक्ष्य (₹ 8,145 करोड़) और एम टी एफ पी एस (₹ 8,254 करोड़) से काफी नीचे था। तथापि, वर्ष 2014-15 के लिए ब आ और एम टी एफ पी का अधिक आकलन किया गया क्योंकि यह वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक व्यय से क्रमशः 26.65 प्रतिशत तथा 28.35 प्रतिशत अधिक था। तेरहवें वित्त आयोग के मानकों में नियत है कि वेतन मद के अन्तर्गत व्यय, राजस्व व्यय के ब्याज भुगतानों व पेंशन का शुद्ध 35 प्रतिशत होना चाहिए, जबकि चालू वर्ष में वेतन पर वास्तविक व्यय 44.28 प्रतिशत लेखांकित किया गया था।

#### पेंशन भुगतान

राज्य सरकार ने पेंशन दायित्वों का अनुमान ऐतिहासिक वृद्धि दर के आधार पर लगाया था न कि वास्तविकता के आधार पर। वर्ष 2014-15 में पेंशन पर व्यय ₹ 2,452 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 12.11 प्रतिशत था। तथापि, चालू वर्ष के दौरान यह विगत वर्ष 2013-14 की अपेक्षा 15.06 प्रतिशत बढ़ा। चालू वर्ष में पेंशन भुगतान ते वि आ द्वारा, चालू वर्ष के लिए मानवीय निर्धारण (₹ 1,608 करोड़) से अधिक (₹ 844 करोड़) था (ते वि आ के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.7)।

राज्य सरकार ने भविष्य में बढ़ते पेंशन दायित्व से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 01 अक्टूबर 2005 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की है।

### ब्याज भुगतान

जैसा कि तालिका 1.15 में दर्शित है, 2010-15 के दौरान, ब्याज भुगतान मुख्यतः पिछले ऋणों के कारण 62.57 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी थी। वर्ष 2014-15 के दौरान ब्याज भुगतान में आन्तरिक ऋणों<sup>5</sup> पर ब्याज (₹ 1,853 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 470 करोड़), अन्य देयताएँ (₹ 45 करोड़) और भारत सरकार से लिए हुए ऋण एवं अग्रिम (₹ 38 करोड़) शामिल थे। चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 2,406 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 11.88 प्रतिशत था, जो कि चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार के बजट द्वारा निर्धारित लक्ष्य (₹ 2,948 करोड़) से ₹ 542 करोड़ कम था परन्तु ते वि आ द्वारा चालू वर्ष हेतु निर्धारित मानक (₹ 2,079 करोड़) से ₹ 327 करोड़ अधिक था। ब्याज भुगतान एम टी एफ पी एस में निर्धारित लक्ष्य ₹ 2,561 करोड़ से ₹ 155 करोड़ कम था।

### उपदान

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के सुविधाविहीन भाग को उपदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना असामान्य नहीं है। उपदान न केवल स्पष्ट रूप से अपितु अनुमानित उपदानित लोक सेवा प्रदान करते हुये लोगों को बाँटा जाता है। अनुमानित उपदानों में वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहयोग, निवेशों पर अपर्याप्त प्राप्ति और सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ प्रदान करने पर उपभोगित कीमत की कम वसूली भी आते हैं।

वित्तीय लेखों (परिशिष्ट II) ने पिछले पांच सालों में सीधे तौर पर दिये गये उपदान ₹ 43.49 करोड़ (2010-11), ₹ 219.67 करोड़ (2011-12), ₹ 163.23 करोड़ (2012-13), ₹ 23.63 करोड़ (2013-14) तथा ₹ 208.71 करोड़ (2014-15), को प्रदर्शित किया।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान दिये गये उपदान में ₹ 185.08 करोड़ (783.24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि का मुख्य कारण गत वर्ष शून्य उपदान के सापेक्ष कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के अंतर्गत खाद्य, भंडारण, व भांडागारण को ₹ 171.25 करोड़ की धनराशि का उपदान देना था।

### 1.6.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान द्वारा प्रदत्त सहायता राशि तालिका 1.16 में प्रस्तुत है।

तालिका 1.16: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता (₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					ब आ	वास्तविक
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	488.49	403.45	501.83	431.05	927.88	714.27
नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ	154.72	175.76	306.28	321.19	471.99	380.17
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	252.96	203.04	190.59	347.21	335.80	301.10

<sup>5</sup> परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

विकास अभिकरण	526.00	409.35	480.80	562.37	1387.24	891.07
चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	71.23	86.98	134.78	108.99	437.67	335.89
ऊर्जा (ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत)	7.50	6.32	12.89	6.88	26.81	5.11
कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण	151.15	205.54	79.71	111.16	335.18	245.18
सहकारिता	9.56	7.30	9.75	11.83	9.58	4.64
पशुपालन, दूध विकास तथा मत्स्य पालन	13.16	8.65	8.75	10.43	34.49	28.58
सचिवालय आर्थिक सेवाएँ एवं पर्यटन	18.43	29.34	36.28	49.33	110.65	68.80
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	97.46	211.10	254.31	285.85	446.66	412.94
अन्य संस्थाएँ	131.61	31.12	115.75	80.27	170.85	127.67
<b>योग</b>	<b>1,922.27</b>	<b>1,777.95</b>	<b>2,131.72</b>	<b>2,326.56</b>	<b>4,694.80</b>	<b>3,515.42</b>
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	16.54	13.70	15.27	14.35	19.73	16.61

स्रोत: वी एल सी आंकड़े महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड

वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों की सहायता में ₹ 144 करोड़ (7.51 प्रतिशत) की कमी हुयी। जबकि, वर्ष 2012-13 के दौरान सहायता में ₹ 354 करोड़ (19.90 प्रतिशत) की वृद्धि हुयी। वर्ष 2013-14 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें पुनः ₹ 195 करोड़ (9.14 प्रतिशत) की वृद्धि हुयी। चालू वर्ष 2014-15 के दौरान गत वर्ष की तुलना में इसमें पुनः ₹ 1,188.86 करोड़ (51.10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। शैक्षिक संस्थाओं एवं विकास अभिकरणों को प्रदत्त सहायता राशि कुल वित्तीय सहायता का 45.67 प्रतिशत थी।

वर्ष के दौरान सहायता में वृद्धि, मुख्यतः शैक्षिक संस्थाओं (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इत्यादि) (₹ 283.22 करोड़), विकास अभिकरण (₹ 328.70 करोड़) तथा चिकित्सालय एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं (₹ 226.90 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

## 1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया उसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन पहलुओं को समाहित करता है यथा, व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवार्ये उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); किये गये व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण)।

### 1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

व्यय का उत्तरदायित्व, जो सामाजिक क्षेत्र एवं वित्तीय अवसंरचना से संबन्धित है, तथा जो राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं, मुख्यतः राज्य का विषय है। मानव विकास स्तरों की वृद्धि हेतु आवश्यक है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि पर अपने व्यय को बढ़ाएँ। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (व्यय श्रेणी तथा कुल व्यय का अनुपात) किसी विशिष्ट विभाग से संबन्धित कही जा सकती है जब उस विशिष्ट व्यय के शीर्ष को दी गयी प्राथमिकता विशेष श्रेणी राज्यों के उस साल के औसत से कम हो।

तालिका 1.17 चालू वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2011-12 के संबंध में विशेष श्रेणी राज्यों में विकासपरक व्यय (वि व्य), सामाजिक क्षेत्र व्यय (सा क्षे व्य) और पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) के सापेक्ष राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करती है।

तालिका 1.17: 2011-12 और 2014-15 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता (प्रतिशत में)

राज्य द्वारा प्राथमिकता	राजकोषीय	स व्य/स रा घ उ	वि व्य #/स व्य	सा क्षे व्य/स व्य	आ क्षे व्य/स व्य	पूँ व्य/स व्य	शिक्षा/स व्य	स्वास्थ्य/स व्य
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2011-12		26.39	61.26	37.02	28.37	14.02	18.86	5.40
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2011-12		15.88	68.25	41.11	27.14	14.91	23.41	4.55
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	उपलब्ध नहीं		63.51	38.14	28.89	14.22	19.31	5.49
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2014-15		18.93	68.39	39.82	28.57	18.81	18.76	5.32

स व्य : सकल व्यय, वि व्य: विकासपरक व्यय, सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र में व्यय, आ क्षे व्य: आर्थिक क्षेत्र व्यय  
# विकासपरक व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय, विकासपरक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।  
स्रोत: (1) स रा घ उ के लिए सूचना राज्य के अर्थ एवं संख्या निदेशालय से एकत्र की गयी थी।

राजकोषीय प्राथमिकता राज्य द्वारा श्रेणी विशेष के व्यय को दी गई प्राथमिकता को इंगित करती है। 2011-12 के सापेक्ष 2014-15 में व्यय पद्धति के तुलनात्मक अध्ययन पर पाया गया कि:

- सरकार का सकल व्यय, स रा घ उ के अनुपात में 2011-12 की तुलना में 2014-15 में 3.05 प्रतिशत अधिक था।
- सकल व्यय के अनुपात में विकास व्यय 2014-15 में 2011-12 के लगभग बराबर था।
- सकल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय 1.29 प्रतिशत कम हुआ।
- पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) का कुल व्यय में अनुपात 3.90 प्रतिशत बढ़ गया।
- राज्य में सकल व्यय के अनुपात में विकास व्यय विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक रहा। विकास व्यय, आर्थिक एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र व्यय से मिलकर बनता है। सकल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय 2011-12 में विशेष श्रेणी राज्यों से 4.09 प्रतिशत अधिक था जो 2014-15 में घटकर 1.68 प्रतिशत हो गया। जैसा की तालिका 1.17 दर्शाती है, स्वास्थ्य क्षेत्र को पर्याप्त प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि 2011-12 एवं 2014-15 में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुपात विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से कम था।
- राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय को 2011-12 एवं 2014-15 में प्राथमिकता दी गई है क्योंकि पूँजीगत व्यय का सकल व्यय में अनुपात विशेष श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा।

### 1.7.2 व्यय करने की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास मर्दों पर लोक व्यय के महत्व के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार के लिए उचित व्यय औचित्यपूर्ण कदम उठाना तथा कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स<sup>6</sup> के प्रावधान पर जोर देना महत्वपूर्ण है। विकासपरक व्यय<sup>7</sup> हेतु आबंटन में सुधार के अतिरिक्त,

<sup>6</sup> परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ ले।

<sup>7</sup> परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ ले।

आसन्न वर्षों में विशेषकर ऋण सेवाओं में गिरावट के कारण उत्पन्न राजकोषीय अन्तराल के मद्देनजर, किये हुए व्यय की दक्षता पूँजीगत व्यय के कुल व्यय से अनुपात (और/अथवा स रा घ उ) एवं विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रखरखाव पर होने वाले राजस्व व्यय के समानुपात से भी परिलक्षित होता है। कुल व्यय (और/अथवा स रा घ उ) में इन घटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर करेगा। जहाँ, एक ओर **तालिका 1.18** चालू वर्ष व गत वर्ष के दौरान बजटीय आवंटन की तुलना में राज्य के समग्र व्यय से सम्बन्धित विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है, वहीं **तालिका 1.19**, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किए गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

कुल व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय के अंश ने वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान 49 प्रतिशत की औसत दर पर अन्तर्वर्षीय विविधता दर्शायी। चालू वर्ष 2014-15 के दौरान इसने विगत वर्ष की तुलना में 39.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। विकासपरक पूँजीगत व्यय के अंश ने भी अन्तर्वर्षीय विविधता प्रदर्शित की लेकिन 2010-11 से 2012-13 तक बढोतरी का रुझान लगातार दर्शाया। तथापि, वर्ष 2013-14 में यह एक प्रतिशत घट गया। यह वर्ष 2014-15 में 2012-13 के सापेक्ष ₹ 1,151 करोड़ (32 प्रतिशत) बढ़ गया। 2010-11 से 2014-15 तक विकासपरक व्यय में समग्र वृद्धि 103.06 प्रतिशत तक हुई।

तालिका 1.18: विकासपरक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासपरक व्यय के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					ब आ	वास्तविक
विकासपरक व्यय (अ से स)	8,842 (65)	10,607 (68)	11,776 (66)	13,216 (65)	19,451	17,955 (68)
अ. विकासपरक राजस्व व्यय	7,033 (52)	8,121 (52)	8,091 (45)	9,366 (46)	14,827	13,081 (49)
ब. विकासपरक पूँजीगत व्यय	1,750 (13)	2,240 (14)	3,413 (19)	3,574 (18)	4,414	4,725 (18)
स. विकासपरक ऋण एवं अग्रिम	59 (0.44)	246 (2)	272 (2)	276 (1)	210	149 (1)

कोष्ठक के अंकड़े समग्र व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

तालिका 1.19: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2013-14			2014-15		
	कु व्य का पूँ व्य से अनुपात	रा व्य में अंश		कु व्य का पूँ व्य से अनुपात	रा व्य में अंश	
		वे एवं पा	परि एवं मर		वे एवं पा	परि एवं मर
<b>सामाजिक सेवाएँ (सा से) मुख्य घटकों पर व्यय</b>						
सामान्य शिक्षा	0.76	18.21	0.005	0.60	15.55	0.004
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.73	4.01	0.040	0.99	3.51	0.037
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासीय एवं शहरी विकास	1.4	0.05	0.01	1.46	0.04	0.008
<b>सा से पर कुल व्यय</b>	<b>4.16</b>	<b>23.40</b>	<b>0.082</b>	<b>4.69</b>	<b>20.08</b>	<b>0.077</b>
<b>आर्थिक सेवाएँ (आ से) मुख्य घटकों पर व्यय</b>						
कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	2.96	3.48	0.184	0.71	2.99	0.132
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	2.28	1.40	0.179	2.91	1.23	0.190
विद्युत एवं ऊर्जा	1.27	0.0004	--	0.65	0.0002	0.000
परिवहन	5.21	0.099	0.167	5.98	0.091	0.004
<b>आ से पर कुल व्यय</b>	<b>18.37</b>	<b>6.42</b>	<b>0.541</b>	<b>13.31</b>	<b>5.69</b>	<b>0.800</b>
<b>सा से + आ से पर कुल व्यय</b>	<b>22.53</b>	<b>29.82</b>	<b>0.623</b>	<b>18.00</b>	<b>25.77</b>	<b>0.877</b>

कु व्य: कुल व्यय, पूँ व्य: पूँजीगत व्यय, रा व्य: राजस्व व्यय, वे एवं पा: वेतन एवं पारिश्रमिक, परि एवं मर: परिचालन एवं मरम्मत।

यद्यपि, पूँजीगत व्यय के प्राथमिकीकरण से सम्बन्धित कोई विशेष मापदण्ड एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित नहीं किये गये हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 के बजट के साथ राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत अपने एम टी एफ पी एस में ते वि आ की संस्तुतियों के प्रति वचनबद्धता दर्शायी है जिनमें स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटा स रा घ उ का तीन प्रतिशत होगा। इसके लिए राज्य सरकार उधार कम लेगी तथा निकट भविष्य में पूँजीकरण हेतु निधियाँ कम होंगी। तथापि चालू वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार ने वर्ष 2013-14 की तुलना में 33 प्रतिशत (₹ 1,227 करोड़) अधिक निधियों के पूँजीकरण की व्यवस्था की (2013-14 में यह केवल 5 प्रतिशत (₹ 170 करोड़) था)।

वर्ष 2014-15 के दौरान, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन तथा पारिश्रमिक, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं दोनों पर क्रमशः तीन प्रतिशत एवं एक प्रतिशत घट गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में आर्थिक सेवाओं में राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में परिचालन एवं मरम्मत व्यय बढ़ा है।

### 1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण

एफ आर बी एम ढाँचे के उपरान्त राज्य से न केवल अपने राजकोषीय घाटे (व उधार) को निम्न स्तर पर रखने वरन् अपने पूँजीगत ऋण एवं अग्रिम सहित व्यय और निवेश की जरूरतों को वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भर होने के क्रम में, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने एवं ऋण से प्राप्त निधियों की

लागत को अप्रत्यक्ष उपदान के रूप में अपने बजट से वहन करने के बजाय वसूल किये जाने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यह खण्ड, पूर्व वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय का मोटे तौर पर वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

### 1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2015 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना तालिका 1.20 में दी गयी है।

तालिका 1.20: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	*परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	पुनरीक्षित आगणन में लागत वृद्धि	31.03.2015 को संचयी वास्तविक व्यय
लोक निर्माण विभाग	141	493.33	500.21	5.88	155.71

\* राज्य सरकार द्वारा 31.03.2015 तक किये गये अन्तिम पुनरीक्षण के अनुसार परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत को इंगित करता है।

स्रोत: वित्त लेखे

### 1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2015 को, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं (तालिका 1.21) में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था जो पिछले 5 सालों के निवेश के 0.004 से 0.02 प्रतिशत रहा, जबकि सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान ऋणों पर 7.80 प्रतिशत औसत दर पर ब्याज दिया।

तालिका 1.21: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ऋणों की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	1,296	1,338	2,397*	2,677	2,809
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज) (₹ करोड़ में)	0.21	0.05	0.19	0.30	0.11
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.02	0.004	0.01	0.01	0.004
सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.34	7.83	8.50	7.57	7.73
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	7.32	7.83	8.49	7.56	7.73

\* पूर्व वर्ष के आंकड़ों में अन्तर का कारण महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय द्वारा किये गये प्रोफार्मा सुधार है।

स्रोत: वित्त लेखे।

इस संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं प्रतिफल पर कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार, मानक तैयार करने तथा कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक लाभ से जुड़ी परियोजनाओं को चिन्हित करने की आवश्यकता है।

मुख्य निवेश (i) उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 1,009 करोड़) और (ii) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 1,076 करोड़) में थे। उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ₹ 1,695 करोड़ की हानियाँ तथा उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने ₹ 256 करोड़ का लाभ वर्ष 2013-14 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार संचित किया था।

### 1.8.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप भी कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय प्रबन्धित उपक्रमों द्वारा निष्पादित किये जाते हैं। सरकार द्वारा किए गए निवेशों की उस वर्ष तक जिस वर्ष तक के प्रोफार्मा लेखे तैयार कर लिए गए हैं, विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेशित पूँजी का प्रतिफल **परिशिष्ट 1.5** में दिया गया है। तीन कम्पनियों के अन्तिम लेखाओं की जाँच में यह पाया गया था कि:

- राज्य सरकार द्वारा सरकारी सिंचाई कार्यशाला, रुड़की में ₹ 1.92 करोड़ का निवेश, वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्त तक किया गया था।
- कुल तीन उपक्रमों, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रुड़की, आर एफ सी, हल्द्वानी तथा आर एफ सी, देहरादून, में से केवल सिंचाई कार्यशाला के 2011-12 तक के लेखे तैयार थे। वर्ष 2007-08 तक यह लाभार्जन का उपक्रम था, परन्तु तत्पश्चात् शुद्ध हानि दर्ज की गयी।

### 1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को ऋण एवं अग्रिम राशि भी उपलब्ध कराती रही है। **तालिका 1.22**, 31 मार्च 2015 को बकाया ऋण एवं अग्रिमों, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.22: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज (₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियाँ/ऋण की लागत की मात्रा	2012-13	2013-14	2014-15	
			ब आ	वास्तविक आँकड़े
प्रारम्भिक शेष	874.08	718.21	--	940.97
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम राशि	272.57	277.99	212.59	150.97
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	428.44	55.23	45.70	45.58
अंतिम शेष	718.21	940.97	--	1,046.36
निवल वृद्धि	(-)155.87	222.76		105.39
ब्याज प्राप्तियाँ	1.61	3.72		0.14
बकाया ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्तियाँ प्रतिशत के रूप में	0.22	0.40		0.01
राज्य सरकार के अदत्त राजकोषीय दायित्वों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	8.18	7.15		7.19
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.96	6.75		7.18
अदत्त बकाया, जिनकी शर्तें नियत की जा चुकी हैं	राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई			

स्रोत: वित्त लेखे व वार्षिक वित्तीय विवरण (उत्तराखण्ड सरकार)।

सरकार ने वर्ष 2013-14 के ₹ 277.99 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 150.97 करोड़ ऋण दिये, जो कि पिछले वर्ष से ₹ 127.02 करोड़ (45.69 प्रतिशत) कम था। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों ने पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 9.65 करोड़ की कमी दिखाई।

बकाया ऋणों एवं अग्रिम ब्याज के रूप में ब्याज प्राप्तियों ने चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी सी कमी दर्शायी। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाये गये बाजार ऋणों की औसत ब्याज दर 7.19 प्रतिशत थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न संस्थाओं, निगमों/ सरकारी कम्पनियों और सरकारी कर्मचारियों आदि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दर केवल 0.01 प्रतिशत थी, जो कि वर्ष 2009-10 में बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सात प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष थी।

31 मार्च 2015 तक सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण ₹ 1,046.36 करोड़ थे। मुख्य लाभार्थी कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ (₹ 795.99 करोड़), परिवहन (₹ 135.11 करोड़) एवं ऊर्जा (₹ 53.49 करोड़) क्षेत्र थे।

### 1.8.5 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.23 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों से किये गये निवेश को इंगित करती है।

तालिका 1.23: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष से किया गया निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2014 को	31 मार्च 2015 को
<b>सामान्य रोकड़ शेष (अ)</b>		
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में रोकड़	00	00
रिजर्व बैंक में जमा	558.31	104.19
अन्य बैंकों में जमा	00	00
<b>योग</b>	<b>558.31</b>	<b>104.19</b>
रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखा निवेश	799.50	592.21
<b>योग (अ)</b>	<b>1,357.81</b>	<b>696.40</b>
<b>(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश</b>		
विभागीय अधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग अधिकारियों, वन विभाग अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के पास रोकड़	(-) 2.15	(-) 2.15
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के पास स्थायी अग्रिम,	(-) 0.87	(-) 0.84
उद्दिष्ट निधियों का निवेश	1,078.62	1,078.62
<b>योग (ब)</b>	<b>1,075.60</b>	<b>1,075.63</b>
<b>महायोग (अ) + (ब)</b>	<b>2,433.41</b>	<b>1,772.02</b>

स्रोत: वित्त लेखे।

अन्तिम रोकड़ शेष पिछले वर्ष (₹ 2,433.41 करोड़) की अपेक्षा चालू वर्ष (₹ 1,772.03 करोड़) के अन्त में ₹ 661.38 करोड़ घट गया।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष से ₹ 1,078.62 करोड़ की नैमित्तिक निधि सृजित की। यही राशि नैमित्तिक निधि से भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित की गई तथा वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 60.67 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। वर्ष 2014-15 के दौरान रोकड़ शेष पर प्राप्त ब्याज 5.62 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी उधार राशियों पर 7.73 प्रतिशत की औसत

दर से ब्याज का भुगतान किया। राज्य सरकार द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं लिया एवं यह वर्ष 2014-15 के दौरान अधिकतम दिनों के लिए ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष बनाये रखने में समर्थ थी। तथापि, वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह में अस्थायी शेष ने सरकार को 12 (साधारण और विशेष) अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम को प्राप्त करने के लिए बाध्य किया। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य को ₹ 0.13 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में देना पड़ा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में मुख्य शीर्ष 'चैको और बिलों' के नीचे लघुशीर्ष 'कोषालय चैक' के अधीन ₹ 84.78 करोड़ क्रेडिट शेष पड़ा था।

पर्याप्त रोकड़ शेष की सहज स्थिति को ध्यान में रखते हुए खुले बाजार की उधारियों को ₹ 3,000.00 करोड़ के बजटीय लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 2,400.00 करोड़ तक सीमित किया जा सका। तथापि चालू वर्ष में ₹ 917 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ तथा स रा घ उ का 4.20 प्रतिशत उच्च राजकोषीय घाटा हुआ।

## 1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व


### 1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संरचना एवं वृद्धि

विद्यमान सरकारी लेखापद्धति में, सरकारी स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया है। तथापि, सरकारी लेखे, सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। परिशिष्ट 1.4 (भाग ब) में 31 मार्च 2014 की समतुल्य स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2015 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं।


### 1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियों को परिशिष्ट 1.3, परिशिष्ट 1.4 व राज्य वित्त लेखे के विवरण 6 में प्रस्तुत किया गया है तथापि, पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना चार्ट 1.7 और 1.8 में प्रस्तुत की गई है।

चार्ट 1.7: 31.03.2014 को बकाया राजकोषीय दायित्वों की संरचना (₹ करोड़ में)



चार्ट 1.8: 31.03.2015 को बकाया राजकोषीय दायित्वों की संरचना (₹ करोड़ में)



वर्ष 2014-15 का ऋण- स रा घ उ अनुपात (24.13 प्रतिशत), पिछले वर्ष के अनुपात की तुलना में (23.41 प्रतिशत) 0.72 प्रतिशत सुधरा। यह अनुपात ते वि आ के उस वर्ष के लिए, ते वि आ द्वारा निर्धारित मापदण्ड (37.20 प्रतिशत) से नीचे था। समग्र राजकोषीय दायित्व वर्ष 2010-11 के ₹ 21,598 करोड़ से 55.01 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 33,480 करोड़ हो गये थे। राज्य की देयताएँ जो वर्ष 2014-15 के अन्त में ₹ 33,480 करोड़ की थी, में मुख्य रूप से लोक ऋण (₹ 25,035 करोड़), लघु जमा एवं भविष्य निधि (₹ 5,463 करोड़) और अन्य दायित्व (₹ 2,982 करोड़) शामिल थे। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय दायित्वों (₹ 4,713 करोड़) में वृद्धि मुख्यतः आन्तरिक ऋण, बचत, लघु बचत, भविष्य निधि, एवं आरक्षित निधि आदि के कारण थी, जो क्रमशः ₹ 3,647 करोड़, ₹ 399 करोड़, ₹ 420 करोड़ एवं ₹ 214 करोड़ तक बढ़ गये थे। राजकोषीय देयताओं में वृद्धि विभिन्न वर्षों में बढ़ी; पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में यह 16.38 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष के दौरान स रा घ उ के सापेक्ष इन दायित्वों में उत्प्लावकता 1.27 थी, जो यह इंगित करती थी कि स रा घ उ में प्रत्येक प्रतिशत बिन्दु के लिए राजकोषीय दायित्व 1.27 प्रतिशत बढ़ गये थे। ये दायित्व राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 1.65 गुना एवं अपने संसाधनों का 3.54 गुना थे। राज्य में प्रारम्भ से ही खुले बाजार ऋणों की भुगतान वापसी के लिए सिंकिंग फण्ड चलन में है (सितम्बर 2006 में पुनरीक्षित) और राज्य सरकार को पिछले वर्ष के बकाया पड़े बाजार ऋणों के 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करना है। राज्य सरकार ने इस निधि में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई योगदान नहीं किया जो कि ₹ 143.83 करोड़ रहा।

### 1.9.3 आरक्षित निधियों के अधीन लेन-देन

(अ) 31 मार्च 2015 को राज्य सरकार आठ आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी, जिसमें से दो आरक्षित निधियाँ सब्याज हैं (₹ 279.36 करोड़), तथा छः गैर ब्याज निधियाँ हैं (₹ 1,159.37 करोड़)। इन आठ निधियों में से तीन निधियाँ निष्क्रिय हैं (शेष ₹ 12.10 करोड़), तथा पांच निधियाँ क्रियाशील हैं (शेष ₹ 1426.63 करोड़)। 1 अप्रैल 2014 को इन निधियों के सापेक्ष ₹ 1,224.16 करोड़ का प्रारम्भिक शेष था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने संचित निधि से विभिन्न आरक्षित निधियों हेतु ₹ 306.59 करोड़ की धनराशि बहीखाता अंतरित की, जिसमें से ₹ 92.02 करोड़ का व्यय किया गया, जिससे 31 मार्च 2015 को ₹ 1,438.73 करोड़ की धनराशि शेष रही। वर्ष के अंत तक ₹ 1,438.73 करोड़ में से ₹ 1078.62 करोड़ का निवेश किया गया।

(ब) सब्याज आरक्षित निधियाँ तथा सब्याज जमा धनराशि के संबंध में ₹ 15.28 करोड़ का ब्याज दायित्व लोक लेखों के क्षेत्र ज तथा क के अधीन, वार्षिक दायित्व हैं जिन्हे राज्य सरकार को वहन करना है। जैसा की तालिका 1.24 से स्पष्ट है, 01 अप्रैल 2014 को राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया यद्यपि ऐसे आरक्षित निधियों तथा जमा धनराशियों में शेष विद्यमान था।

तालिका 1.24 - आरक्षित निधियों एवं निक्षेपों में रोकड़ शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	ब्याज दर	2014-15 के आरंभ में शेष	देय ब्याज
ज - आरक्षित निधि	(अ)सब्याज आरक्षित निधि(रा आ प्र नि सहित)	7.5 प्रतिशत (अर्थोपाय ब्याज दर का औसत)	67.43	5.05
क - जमा तथा अग्रिम	(अ) सब्याज जमा (स ऋ शो नि ) मु शी - 8342-117	-तदैव -	136.46	10.23
कुल ब्याज				15.28

**समेकित ऋण शोधन निधि :** बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कुल बकाया दायित्वों (राज्य सरकार के आंतरिक ऋण और लोक लेखा दायित्वों) का बोझ कम करने के लिये राज्य सरकार ने ऋण शोधन निधि 2006 के सृजन एवं व्यवस्था के लिए एक पुनरीक्षित योजना बनाई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्गदर्शन/निर्देशों के अधीन, जो कि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाये, निधियों का संचालन किया जाता है। सरकार द्वारा आर बी आई को इन निधियों पर अर्जित लाभांश के एक प्रतिशत का 1/8 प्रतिशत या परस्पर सहमति के आधार पर तय कमीशन के रूप में दिया जाता है। वर्ष 2014-15 में, ऋण शोधन निधि योजना के प्रावधानों के विरुद्ध, राज्य की समेकित निधि से ऋण शोधन निधि में कोई धनराशि विनियोजित नहीं की गयी। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार का राजस्व घाटा ₹ 143.83 करोड़ की सीमा तक घटा कर दर्शाया गया (पिछले वर्ष की ₹ 28,766.49 करोड़ की कुल देयताएं का 0.5 प्रतिशत)। 2014-15 के अन्त में इसमें कुल संचयन ₹ 1,128.00 करोड़ था। निधियों के कुल संचयन में से ₹ 1,053.62 करोड़ आर बी आई द्वारा निवेश किया गया।

**राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस डी आर एफ):** भारत सरकार द्वारा 2010-11 में मौजूदा विपत्ति राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं उत्तराखंड जैसे विशेष श्रेणी राज्यों को 90:10 के अनुपात में योगदान देना आवश्यक है। दिशा निर्देशों के अनुसार, ये योगदान, व्यय मुख्य शीर्ष 2245 से प्रचालित होकर लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121 के अधीन अंतरित होने हैं । वर्ष के अंत में निधि में शेष धनराशि का निवेश किया जाता है। जब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में शेष धनराशि प्राकृतिक आपदाओं पर होने वाले व्यय के लिए कम पड़ जाती है तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अधीन दी गयी धनराशि का व्यय सीधे प्राकृतिक आपदाओं पर किया जाता है।

1 अप्रैल 2014 को निधि में ₹ 67.41 करोड़ की धनराशि शेष थी । 2014-15 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए ₹ 68.30 करोड़ (₹ 128.72 करोड़ की नियत राशि के बदले) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से ₹ 216.81 करोड़ अवमुक्त किए। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दी गयी सम्पूर्ण धनराशि को ₹ 14.30 करोड़ के अपने हिस्से के साथ लोक लेखा को अंतरित कर दिया। यद्यपि भारत सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु सम्पूर्ण धनराशि

अवमुक्त नहीं की, उत्तराखण्ड की राज्य सरकार ने अपने हिस्से की कुल धनराशि को अवमुक्त कर दिया। इस निधि में उपलब्ध शेष धनराशि में से, मुख्य शीर्ष 2245 - प्रकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत, में ₹ 87.47 करोड़ का प्रारम्भिक व्यय किया गया, जिससे निधि में 31 मार्च 2015 को ₹ 279.35 करोड़ की धनराशि शेष रही।

#### 1.9.4 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूतियाँ, उधार लेने वाले जिसके लिये प्रत्याभूति दी गयी है, के दोषी रहने पर राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व हैं।

राज्य विधायिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत उस अधिकतम सीमा के निर्धारणार्थ कोई भी कानून पारित नहीं किया गया, जिसके अन्तर्गत सरकार राज्य समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूतियाँ दे सके। एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में यह विहित है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होते समय विद्यमान, राज्य सरकार के किसी नियम या कानून के अन्तर्गत अथवा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या कानून द्वारा, निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर प्रत्याभूति नहीं देगी। तथापि, प्रत्याभूतियों की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक कोई कानून पारित नहीं किया है।

वित्त लेखे के विवरण संख्या 9 के अनुसार, अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा प्रत्याभूतियाँ दी गई थी तथा विगत तीन वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियाँ तालिका 1.25 में दी गई हैं:

तालिका 1.25: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ (₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2012-13	2013-14	2014-15
प्रत्याभूति की बकाया राशि	1,570	1,475	1,832
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूति की अधिकतम राशि का प्रतिशत	9.97	8.52	9.05

स्रोत: वित्त लेखे।

31 मार्च 2015 को बकाया प्रत्याभूति की राशि ₹ 1,832 करोड़ थी, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र (₹ 1,224 करोड़), सहकारिताओं (₹ 600 करोड़) और अन्य (₹ आठ करोड़) शामिल थे। सरकार द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी प्रत्याभूति आव्हानित नहीं की गई।

सरकार ने ₹ 25 करोड़ की प्रत्याभूति संग्रह उत्थित प्रत्याभूतियों के निपटान के लिए एक 'प्रत्याभूति विमोचन निधि' गठित किया है। वर्ष 2014-15 के दौरान उक्त निधि से न तो कोई धनराशि निकाली गई तथा न ही विनियोजित की गई।

#### 1.10 ऋण प्रबंधन

##### (i) ऋण रूपरेखा


राज्य के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋणों) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका 1.26 एवं चार्ट 1.9 में दी गई है।

तालिका 1.26: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

( ₹ करोड़ में )

परिपक्वता रूपरेखा	राशि	कुल लोक ऋण पर प्रतिशतता
0-1 वर्ष	1,553	6.20
1-3 वर्ष	1,988	7.94
3-5 वर्ष	2,544	10.16
5-7 वर्ष	3,510	14.02
7 वर्ष से अधिक	13,055	52.15
अन्य (राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी)	2,385	9.53
<b>योग</b>	<b>25,035</b>	<b>100</b>

चार्ट 1.9 : लोक ऋण की परिपक्वता रूप रेखा ( ₹ करोड़ में )



स्रोत: वित्त लेख

वचनबद्ध व्यय-दायित्व के निर्वहन हेतु सरकार को और अधिक उधार लेना पड़ा चूंकि विगत पाँच वर्षों में राजकोषीय कमी थी। 31 मार्च 2015 को लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूप रेखा दर्शाती है कि 52.15 प्रतिशत लोक ऋण सात वर्षों या अधिक की परिपक्वता स्थिति में थी।

(ii) ऋण वहन क्षमता

राज्य सरकार के ऋणों के परिणाम के अलावा राज्य की ऋण वहन क्षमता को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। यह खण्ड, ऋण स्थिरीकरण, ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता, उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतानों के अनुपात द्वारा मापित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के संदर्भ में राज्य सरकार की ऋण वहन क्षमता का आकलन करता है। तालिका 1.27 वर्ष 2012-13 से आरम्भ करते हुए तीन वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण वहन क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.27: ऋण वहन क्षमता : सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण वहन क्षमता के सूचक <sup>8</sup>	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण एवं स रा घ उ का अनुपात <sup>#</sup> (प्रतिशत में)	23.59	23.41	24.13
ऋण एवं राजस्व प्राप्तियों का अनुपात (प्रतिशत में)	162.19	166.08	165.36
ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल) <sup>9</sup>	(+)157	(-) 1,050	(-) 3,176
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता <sup>10</sup>	5	1,301	2,358
ब्याज/भुगतानों का भार (ब्याज भुगतान/ रा प्रा अनुपात)	13.27	11.87	11.88

# अल्प ऋण एवं स रा घ उ का अनुपात दर्शाता है कि एक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में माल एवं सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है जिससे कि बिना और उधार लिए हुए ऋणों को चुकाया जा सके।

तालिका-1.27 की प्रवृत्तियाँ दर्शाती हैं कि ऋण- स रा घ उ अनुपात जो वर्ष 2013-14 में 23.41 प्रतिशत था, में चालू वर्ष के दौरान 24.13 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। उत्तराखण्ड के परिपेक्ष में, ऋण- स रा घ उ अनुपात 24.13 प्रतिशत पर था, जो ते वि आ द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित लक्ष्य (37.20 प्रतिशत) से काफी नीचे था। ऋण- स रा घ उ अनुपात भी विशेष श्रेणी राज्यों में निचलों में से एक था। राजस्व प्राप्तियों के ऋण का अनुपात 2013-14 में 3.89 प्रतिशत से बढ़ा लेकिन चालू वर्ष के दौरान इसमें 0.72 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई जिसका कारण राजस्व प्राप्तियों की बढ़ती विकास दर एवं उधारियों की घटती दर थी।

ऋण स्थायित्व और इसकी वहन क्षमता का दूसरा सूचक, बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्रारम्भिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता को है। ऋण-वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ,<sup>11</sup> बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्रारम्भिक व्यय को पूरा कर सकतीं। धनात्मक संसाधन अंतराल राज्य के ऋणों को संभालने की क्षमता को मजबूत करता है। तालिका 1.27 वर्ष 2012-15 की अवधि हेतु परिभाषित संसाधन अंतराल को इंगित करती है।

राज्य ने 2012-13 के दौरान धनात्मक संसाधन अंतराल में वृद्धि की, जिससे वर्ष 2012-13 में अतिरिक्त राजस्व लाभ ₹ 1,787 करोड़ तक बढ़ा। वर्ष 2013-14 के दौरान धनात्मक संसाधन अंतराल नकारात्मक में बदल गया जिसका मान ₹ 1,050 करोड़ था, जिससे राजस्व लाभ ₹ 682 करोड़ से घटकर ₹ 1,105 करोड़ हो गया। चालू वर्ष में ऋणात्मक संसाधन अंतराल पिछले वर्ष की तुलना में और भी बढ़ते हुए ₹ 3,176 करोड़ हो गया, जिससे 2014-15 में राजस्व लाभ राजस्व हानि (₹ 917 करोड़) में बदल गया। 2011-12 में राजकोषीय घाटा घटाकर (₹ 1,757 करोड़) यथोचित सीमा तक लाया गया, जो और घटकर वर्ष 2012-13 में ₹ 1,600 करोड़ (स रा घ उ का 1.48 प्रतिशत) हो गया। वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा ₹ 2,650 करोड़ (स रा घ उ का 2.16 प्रतिशत) हो गया जो ते वि आ के मानकीय निर्धारण के अंतर्गत 3.50 प्रतिशत थी। 2014-15 के दौरान यह पुनः बढ़कर

<sup>8</sup> परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

<sup>9</sup> परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

<sup>10</sup> परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

<sup>11</sup> परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

₹ 5,826 करोड़ (स रा घ उ का 4.20 प्रतिशत) हो गया जो ते वि आ के तीन प्रतिशत के मानकीय निर्धारण से अधिक था।

ऋण मोचन अनुपात वर्ष 2010-11 के दौरान 0.83 था जिससे यह इंगित होता है कि इस अवधि के दौरान पुरानी ऋण देयताओं को समाप्त करने के लिए ऋण निधियों का बढ़-चढ़ कर प्रयोग किया जा रहा (परिशिष्ट 1.3)। तथापि, वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान इसने उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाई पर वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में घटकर क्रमशः 0.82 तथा 0.71 हो गया। इसलिए वर्ष 2014-15 के दौरान मूलधन एवं ब्याज को लौटाने के पश्चात उधारी निधियों से, निधियों के पूँजीकरण/उत्पादक व्यय हेतु अधिक धनराशि उपलब्ध थी।

### 1.10.1 बाजार ऋण

#### बाजार ऋण की स्थिति

तालिका 1.28, 2010-15 की अवधि के लिए राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.28 : राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च को अन्तिम अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि (+) / कमी (-)	
					धनराशि	प्रतिशत
2010-11	6,345.53	991.52	102.00	7,235.05	889.52	14.02
2011-12	7,235.05	1,400.00	240.73	8,394.32	1,159.27	16.02
2012-13	8,394.32	1,750.00	949.87	9,194.45	800.13	9.53
2013-14	9,194.45	2,500.00	763.89	10,930.56	1,736.11	18.88
2014-15	10,930.56	2400.00	308.85	13,021.71	2,091.15	19.13
योग		9,041.52	2,365.34			

स्रोत: संगत वर्ष के वित्त लेख।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि उत्तराखण्ड सरकार ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 9,041.52 करोड़ एवं ₹ 2,365.34 करोड़ क्रमशः का ऋण लिया और पुनर्भुगतान किया। 2011-15 के दौरान पुनर्भुगतान राज्य सरकार के कुल ऋणों (₹ 9,041.52 करोड़) का 26.16 प्रतिशत था। इन ऋणों पर भुगतानित ब्याज 2010-11 में 7.93 प्रतिशत से 2014-15 में 8.15 प्रतिशत की औसत दर से वर्ष 2010-11 में ₹ 498 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 921 करोड़ हो गया। पुनर्भुगतान की धीमी गति आगामी वर्षों में ऋणों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को बढ़ाएगी। सरकार पर मौजूदा बाजार ऋण का दबाव भी विचारणीय होगा। उपरोक्त तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2010-11 से 2013-14 में बाजार ऋणों में बढ़ने की प्रवृत्ति थी। यद्यपि, चालू वर्ष में यह ₹ 100 करोड़ घटा। 2010-11 से 2014-15 के दौरान प्राप्तियों ने लगभग 2.42 गुनी वृद्धि दर्शाई। यह राज्य सरकार की बाजार ऋण पर निरंतर निर्भरता को दर्शाती है।

#### एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 की धारा 4 (द) अनुबंधित करती है कि ऋणों का उपयोग चालू व्ययों के वित्तपोषण में न होकर स्व-पालनीय विकास क्रियाकलापों तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन या वृद्धि में होना चाहिए। सरकार ने ऋण के प्रत्येक अंश हेतु यह उद्देश्य अधिसूचित किया था

कि प्राप्त ऋण का उपयोग, विकास योजनाओं विशेषतया उनमें जो ऊर्जा, सिंचाई, परिवहन और उद्योगों और उनमें भी जो राज्य के विशेषकर कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों को लाभान्वित करती है, के लिए करना है। सरकार ने उक्त उद्देश्यों हेतु बाजार ऋण उठाए जो तालिका 1.29 में दिये गए हैं:

तालिका 1.29: वर्ष 2010-15 के दौरान सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण और पुनर्भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)



वर्ष	बाजार ऋणों की धनराशि				
	लिया गया	पुनर्भुगतान के उद्देश्य हेतु		पूँजीगत व्यय के उद्देश्य हेतु	
		धनराशि	प्रतिशत	धनराशि	प्रतिशत
2010-11	991.52	102.00	10.29	889.52	89.71
2011-12	1,400.00	240.73	17.20	1159.27	82.80
2012-13	1,750.00	949.87	54.28	800.13	45.72
2013-14	2,500.00	763.89	30.56	1,736.11	69.44
2014-15	2,400.00	308.85	12.87	2,091.15	87.13

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सरकार ने नए ऋणों (2010-11 से 2014-15) के औसतन 25.04 प्रतिशत का उपयोग परिपक्व बाजार ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु किया जबकि औसतन 74.96 प्रतिशत पूँजीगत व्यय हेतु संदर्भित वर्षों में प्रयोग किया गया। नए ऋणों से परिपक्व बाजार ऋणों का भुगतान इन ऋणों के उद्देश्यों को असफल करने के अतिरिक्त एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था।

## 1.11 राजकोषीय असंतुलन

### 1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटा-एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में राजकोष के समस्त असन्तुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य के अन्तराल को प्रस्तुत करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का एक सूचक है। इसके अलावा, किस तरह घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और जुटाए गये संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, यही इसके राजकोषीय स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड, इन घाटों की प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण एवं वित्त पोषण के ढंग तथा एफ आर बी एम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन को भी प्रस्तुत करता है। चार्ट 1.10 एवं 1.11, 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



राज्य ने 2010-11 में राजस्व घाटे का अनुभव किया जो मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के कारण था। तथापि राज्य वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे लाने में और वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 716 करोड़ का आधिक्य प्राप्त करने में कामयाब रहा जो 2012-13 में बढ़कर ₹ 1,787 करोड़ हो गया, तथा 2013-14 में ₹ 1,105 करोड़ हुआ। तथापि, चालू वर्ष में राज्य राजस्व आधिक्य बनाए रखने में असफल रहा तथा इसे राजस्व घाटे का अनुभव हुआ जो 2014-15 के अंत में ₹ 917 करोड़ रहा।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2010-11 में कम किया गया और एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में निर्धारित स रा घ उ के चार प्रतिशत लक्ष्य से नीचे 2.19 प्रतिशत था। सरकार के द्वारा राजकोषीय समेकन के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप ही 2011-12 और 2012-13 में भी राजकोषीय घाटे में कमी हुई। तथापि, वर्ष 2013-14 को दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 1,050 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,650 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान, राजकोषीय घाटा ₹ 3,176 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,826 करोड़ हो गया। ₹ 5,826 करोड़ पर राजकोषीय घाटा, स रा घ उ के 4.20 प्रतिशत पर वर्तमान रूप में टिका है और इस संदर्भ में ते वि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्य तीन प्रतिशत से अधिक है।

2010-11 के दौरान, प्राथमिक घाटा ₹ 363 करोड़ था जो वर्ष 2011-12 में धनात्मक हो गया। यह वर्ष 2012-13 तक भी धनात्मक रहा किन्तु 2013-14 के दौरान ऋणात्मक (₹ 594 करोड़) हो गया और चालू वर्ष के अंत तक ₹ 3,420 करोड़ पर ऋणात्मक ही रहा।

2014-15 के दौरान, राज्य सरकार ने पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु दिए गए ₹ 399.21 करोड़ के सहायता अनुदान को पूँजीगत शीर्ष में, ₹ 660.63 करोड़ के वृहत निर्माण कार्यों को राजस्व शीर्ष में, तथा ₹ 1.70 करोड़ के लघु निर्माण कार्यों को पूँजीगत खंड में दर्शाया जो सरकारी लेखा नियमों के विरुद्ध था। राज्य सरकार ने ₹ 143.83 करोड़ के ऋण-शोधन निधि की ओर कोई योगदान नहीं दिया तथा चालू वर्ष के दौरान ₹ 15.28 करोड़ के संचित एवं जमा राशि पर कोई ब्याज भी नहीं दिया।

उपरोक्त प्रस्तर में दी गयी जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के राजस्व एवं राजकोषीय घाटों पर प्रभाव निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		कुल प्रभाव लेने से पहले अनुपात		कुल प्रभाव लेने के पश्चात अनुपात	
		अतिशयोक्ति	न्यूनोक्ति	अतिशयोक्ति	न्यूनोक्ति	राजस्व घा /स रा घ उ	राजकोषीय घा /स रा घ उ	राजस्व घा /स रा घ उ	राजकोषीय घा /स रा घ उ
1.	राजस्व एवं पूँजीगत लेखों के मध्य गलत वर्गीकरण	658.93	---	---	---	0.66	4.20	0.59	4.31
2.	सहायता अनुदान को पूँजीगत लेखा में दर्शाना	---	399.21	---	---				
3.	ऋण-शोधन निधि में कोई योगदान नहीं	---	143.83	---	143.83				
4.	संचित एवं जमा धनराशि पर ब्याज हेतु कोई प्रावधान नहीं	---	15.28	---	15.38				
कुल (निवल) प्रभाव		(अतिशयोक्ति 100.61)		(न्यूनोक्ति 159.21)					

स्रोत: वित्त लेखों

### 1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त-पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ जैसा कि तालिका 1.30 में परिलक्षित है।

तालिका 1.30 : राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
<b>राजकोषीय घाटे का विघटन</b>						
1	राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+)	(-)13	(+)716	(+)1,787	(+)1,105	(-) 917
2	निवल पूँजीगत व्यय	(-)1,855	(-) 2,317	(-)3,542	(-)3,532	(-) 4,804
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(+)25	(-)156	(+)155	(-)223	(-) 105
<b>राजकोषीय घाटे की वित्त-पोषण पद्धति</b>						
1	बाजार ऋण	890	1,159	800	1,736	(+) 2,091
2	भारत सरकार से ऋण	16	20	6	(-)16	(+) 33
3	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	921	332	505	545	(+) 1,145
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	182	131	215	291	(+) 411
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	870	626	271	322	(+) 420
6	जमा एवं अग्रिम	46	33	219	352	(+) 399
7	उचन्त एवं विविध	(-) 331	(-)412	479	(-)223	(+) 13
8	प्रेषण	(-) 303	(-)466	(-)101	317	(+) 450
9	अन्य	242	190	66	(-)186	(+) 203
10	कुल आधिक्य/घाटा(नकद शेष)	(-) 690	144	(-)860	(-)488	(+) 661
<b>सकल राजकोषीय घाटा</b>		<b>1,843</b>	<b>1,757</b>	<b>1,600</b>	<b>2,650</b>	<b>5,826</b>

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेख, 2013-14

राजकोषीय घाटा (₹ 5,826 करोड़) बड़ी मात्रा में बाजार की उधारियों (₹ 2,091 करोड़) और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 1,145 करोड़) से प्रबन्धित किया गया। यद्यपि, चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई, किन्तु राजकोषीय घाटा (स रा घ उ का 4.20 प्रतिशत) स रा घ उ के तीन प्रतिशत की सीमा (ते वि आ की सिफारिशों के अनुसार) से अधिक था।

### 1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात, प्राथमिक राजस्व घाटा एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित), राज्य वित्त में घाटे की गुणवत्ता के सूचक होंगे। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात उस सीमा को इंगित करता है जहाँ तक वर्तमान उपभोग के लिये ऋण निधियों का उपयोग किया गया था। पुनः राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का सतत उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा था और ऋणों (राजकोषीय दायित्व) के अंश परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं थे। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.31) उस सीमा को इंगित करेगा जहाँ तक घाटा पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण रहा है जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये वांछनीय हो सकता है।

तालिका 1.31: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्तियाँ*	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) /आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6= (3+4+5)	7= (2-3)	8= (2-6)
2010-11	11,693	10,141	1,855	60	12,056	(+) 1,552	(-) 363
2011-12	13,782	11,206	2,317	247	13,770	(+)2,576	(+) 12
2012-13	16,175	11,871	3,542	273	15,686	(+)4,304	(+) 489
2013-14	17,556	14,160	3,712	278	18,150	(+)3,396	(-) 594
2014-15	20,428	18,758	4,939	151	23,848	(+) 1,670	(-) 3,420

\* लोक ऋण प्राप्तियाँ से इतर प्राप्तियाँ अर्थात् ऐसी प्राप्तियाँ जिन्हें वापस नहीं किया जाता है

- ऋणोत्तर प्राप्तियाँ 2010-11 से 2014-15 तक 74.70 प्रतिशत बढ़ी और प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं। तथापि, अन्तर जो ₹ 1381 करोड़ (2013-14) से ₹ 2,872 करोड़ (2014-15) के मध्य रहा, वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य निरन्तर उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाता रहा।
- कुल प्राथमिक व्यय में 2010-11 की तुलना में 2014-15 के दौरान ₹ 11,792 करोड़ (97.81 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, यह वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 8,617 करोड़ (84.97 प्रतिशत) की सीमा तक प्राथमिक राजस्व व्यय की वृद्धि के कारण थी।
- प्राथमिक राजस्व आधिक्य ने 2010-11 से 2012-13 तक बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई। तथापि, 2013-14 से इसने घटने की प्रवृत्ति दिखाई तथा 2014-15 के अन्त में यह ₹ 1,670 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,726 करोड़ (50.82 प्रतिशत) कम था।
- वर्ष 2011-12 के दौरान, प्राथमिक घाटा, ऋणोत्तर प्राप्तियाँ में वृद्धि होने के कारण प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हुआ और धनात्मक बना रहा तथा वर्ष 2012-13 के अंत में ₹ 489 करोड़ हो गया, परन्तु वर्ष 2013-14 के दौरान कुल प्राथमिक व्यय में वृद्धि के कारण प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया तथा कुल प्राथमिक व्यय में वृद्धि के कारण ₹ 2,826 करोड़ और घट गया, और वर्ष के अंत में ₹ 3,420 करोड़ हो गया।

### 1.12 राज्य वित्त पर विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

उत्तराखण्ड में राज्य वित्त पर किसी भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति (सितम्बर 2015) द्वारा चर्चा नहीं की गई। तदनुसार, प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों को लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

### 1.13 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में बढ़कर ₹ 2,926 करोड़ (16.89 प्रतिशत) हो गई। यह मुख्यतः राज्य के संघ करों तथा शुल्कों के अंश में (₹ 219 करोड़), राज्य के स्वयं का कर

राजस्व (₹ 983 करोड़), तथा भारत सरकार से अनुदान (₹ 1,930 करोड़) में वृद्धि के कारण हुआ। हालांकि, चालू वर्ष में करेत्तर राजस्व ₹ 206 करोड़ से घट गया।

**राज्य को बेहतर कर अनुपालन तथा उपभोक्ता शुल्क/खर्च के युक्तिकरण द्वारा अतिरिक्त संसाधनों को कर तथा करेत्तर संसाधनों के माध्यम से गतिशील करने का प्रयास करना चाहिए।**

राज्य का व्यय प्रतिरूप दर्शाता है कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय चालू वर्ष में बढ़ा तथा 80.61 प्रतिशत के आसपास रहा। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,083 करोड़ (15.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वेतन पर व्यय का प्रतिशत 47.06 रहा तथा 2014-15 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के एक मुख्य अंश का उपभोग करता रहा। 2014-15 में पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 2,452 करोड़, जो राजस्व प्राप्तियों का 12.11 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान पेंशन भुगतान ते वि आ द्वारा चालू वर्ष के लिए (ते वि आ प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.7) किये गए मानकीय निर्धारण (₹ 1,608 करोड़) से अधिक (₹ 844 करोड़) था।

राज्य का पूँजीगत व्यय में 2014-15 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,227 करोड़ की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः (i) सामाजिक एवं (ii) आर्थिक सेवाओं में व्यय की वृद्धि के कारण हुई। कुल व्यय के प्रतिशत में, पूँजीगत व्यय 2010-11 में 13.70 प्रतिशत था तथा 2014-15 में 18.81 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 33.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि ₹ 4,939 करोड़ थी जो राज्य सरकार द्वारा अपने ब आ (₹ 4,591 करोड़) में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था, किन्तु एम टी एस पी एफ द्वारा निर्धारित लक्ष्य (₹ 5,840 करोड़) से कम था।

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान कुल विकासीय व्यय 103.06 प्रतिशत से बढ़ गया।

**यद्यपि योजनेत्तर राजस्व व्यय का मुख्य भाग वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान जो कि बड़े पैमाने पर अनियंत्रित हैं, राज्य सरकार अन्य संघटकों को आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में शामिल करने पर विचार कर सकती है जिससे संसाधनों का अधिशेष का उपयोग राज्य के परिसंपत्तियों के निर्माण तथा संधारणीय विकास में हो सके।**

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ तथा सहकारी संस्थाओं में सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल पिछले पांच वर्षों में लगभग नगण्य था, जबकि सरकार द्वारा 2010-11 से 2014-15 के दौरान इसकी उधारियों पर 7.80 प्रतिशत का ब्याज दिया गया।

**राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त उच्च मूल्य उधारों के परिपेक्ष्य में लाभ अर्जित करने वाले राज्य सा क्षे उ में पूँजीगत निवेश पर युक्तियुक्त प्रतिफल सुनिश्चित किया जाय।**

राज्य 2010-11 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक लाने में सफल रहा तथा 2011-12 में ₹ 716 करोड़ का राजस्व अधिशेष प्राप्त किया जो 2012-13 में बढ़कर ₹ 1,787 करोड़ हुआ किन्तु 2013-14 में घटकर ₹ 1,105 करोड़ हो गया। वर्तमान वर्ष में राजस्व अधिशेष, राजस्व घाटे में बदल गया तथा ₹ 917 करोड़ रहा।

वर्ष 2010-11, 2011-13, एवं 2013-14 में राजकोषीय घाटा क्रमशः 4 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत रहते हुए युक्तियुक्त सीमा में रहा। 2014-15 में राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 5,826 करोड़ पर रहते हुए स रा घ उ का 4.20 प्रतिशत था जो तीन प्रतिशत की युक्तियुक्त सीमा से ऊपर रहा।

राज्य का रोकड़ शेष 2014-15 के अंत में ₹ 661 करोड़ से घट गया । भारतीय रिजर्व बैंक में निवेशित रोकड़ शेष पर तथा भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश पर प्राप्त ब्याज 5.62 प्रतिशत था, जबकि सरकार ने 7.73 प्रतिशत के औसत ब्याज दर पर उधार लिया था। 2014-15 में ऋण - स रा घ उ के अनुपात में मामूली बढ़त हुई जो 24.13 प्रतिशत से गत वर्ष की तुलना में (23.41 प्रतिशत) 0.72 प्रतिशत से बढ़ा, जिसके पश्चात यह ते वि आ के द्वारा निर्धारित 37.20 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी नीचे था। 2011-12 में प्राथमिक आधिक्य जो वर्ष 2012-13 के दौरान बढ़ गया था (₹ 489 करोड़), पुनः 2013-14 में प्राथमिक घाटे (₹ 594 करोड़) में बदल गया और 2014-15 में बढ़कर ₹ 3420 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2015 को लोक ऋण ₹ 25,035 करोड़ है तथा ऋण का 52.15 प्रतिशत सात वर्ष और उससे अधिक के परिपक्वता अवधि में है।

**राज्य सरकार यथासंभव नवीन उधारों को मांगने से पहले केवल आवश्यकता अनुरूप उधारों को मांगने तथा विद्यमान रोकड़ शेष का उपयोग करने पर विचार करे।**